अवैध व्यापार के शिकार लोगों की पहचान से संबंधित नीति निदेशिका

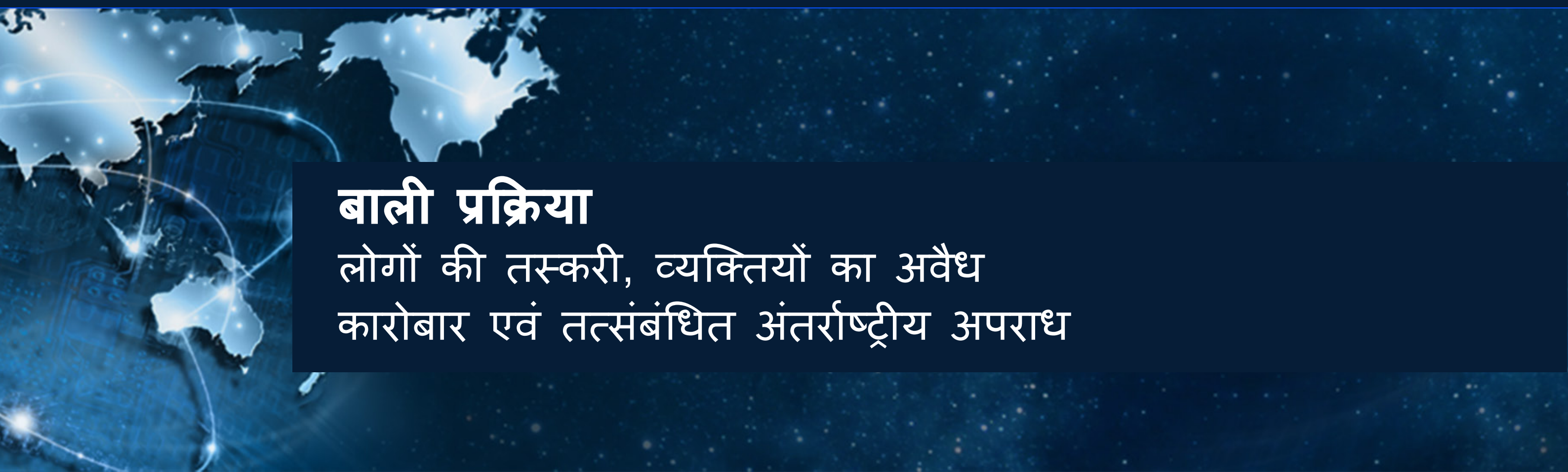

बाली प्रक्रिया

लोगों की तस्करी, व्यक्तियों का अवैध कारोबार एवं तत्संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अपराध

नीति-निर्धारकों एवं व्यवसायियों के लिए प्राथमिक निदेशिका

बाली प्रक्रिया

मानव तस्करी, व्यक्तियों के अवैध कारोबार एवं तत्संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अपराध से संबंधित बाली प्रक्रिया (बाली प्रक्रिया) वर्ष 2002 में शुरू हुई है और यह स्वैच्छिक व अबाध्यकर क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया सरकारें सह-अध्यक्ष हैं और 45 देश एवं संगठन इसके सदस्य है।

इस नीति-निदेशिका से संबंधित पूछताछ हेतु क्षेत्रीय सहायक कार्यालय(RSO) बाली प्रक्रिया से इस पते पर संपर्क करें :

क्षेत्रीय सहायक कार्यालय (RSO) बाली प्रक्रिया
ई-मेल info@rso.baliprocess.net RSO वेबसाईट
http://www.baliprocess.net/regional-support-office

प्रकाशन
मई May 2015

आभार प्रदर्शन

यह नीति निदेशिका 'बाली प्रक्रिया नीति-निदेशिका प्रारूपण समिति' के नेतृत्व में, क्षेत्रीय सहायक कार्यालय के सहयोग से, बाली प्रक्रिया सदस्यों द्वारा विकसित की गई है जो निम्नानुसार हैं:

लालू मोहम्मद इकबाल
कार्यकारी निदेशक, इन्डोनेशियाई नागरिक संरक्षण एवं विधिक निकाय, विदेशी मामलों का मंत्रालय, इंडोनेशिया (सह-अध्यक्ष)

जोनाथन मार्टेनस
आप्रवासी सहायता इकाई प्रमुख, एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय, अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासन संगठन (सह-अध्यक्ष)

मेगन चेलमेर्स
वरिष्ठ विधि अधिकारी
व्यक्ति के विरुद्ध अपराध अनुभाग, अटॉर्नी जनरल विभाग, ऑस्ट्रेलिया

मोहम्मद शिफान
उप-मुख्य आप्रवासन अधिकारी आप्रवासन एवं उत्प्रवासन विभाग, मालदीवस

रॉबर्ट लरगा
निदेशक, अनुज्ञप्ति एवं विनियमन
फिलिपीन विदेश रोजगार प्रशासन, फिलिपीन्स

पिन्थिप लीलाक्रियांगासक सृसनित
सरकारी अभियोजक
अंतर्राष्ट्रीय मामलों का विभाग,
अटॉर्नी जनरल का कार्यालय, थाईलैंड

प्रारूपण समिति के अन्य सहयोगी
टिम हॉव
IOM परियोजना समन्वयक
क्षेत्रीय सहायक कार्यालय

बाली प्रक्रिया

प्रस्तावना

वर्ष 2002 में बाली प्रक्रिया के प्रारम्भ से ही मानव तस्करी, व्यक्तियों के अवैध कारोबार एवं तत्संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अपराध संबंधी (बाली) प्रक्रिया ने मानव तस्करी, व्यक्तियों के अवैध कारोबार एवं तत्संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के परिणामों के प्रति क्षेत्रीय जागरूकता प्रभावी रूप से पैदा करने के साथ ही इस सम्बन्ध में एक व्यवहारिक रणनीति को विकसित एवं कार्यान्वित किया है | सभी 48 सदस्य-देश व अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा कई प्रेक्षक देश और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इस स्वैच्छिक मंच पर व्यावहारिक रूप से सहभागिता कर रहीं हैं |

बाली प्रक्रिया के तदर्थ समूह की आठवीं बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों ने अवैध कारोबार के शिकार लोगों की पहचान एवं उनके संरक्षण संबंधी मामलों में कुछ नीति-निदेश अपनाने की सिफारिश की जो पण धारक देशों के साथ परामर्श करके बाली प्राक्रिया क्षेत्रीय सहायक कार्यालय (RSO) द्वारा तैयार किये जाँये | इसी सन्दर्भ में, RSO ने इंडोनेशिया गणतंत्र की सरकार तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IMO) की सह-अध्यक्षता में नीति-निदेशिका प्रारूपण समिति का गठन किया, जिसमें इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव्स, फिलीपींस, थाईलैंड एवं IOM के विशेषज्ञ शामिल हैं |

अवैध कारोबार के शिकार लोगों की पहचान एवं उनके संरक्षण संबंधी मामलों से जुड़े नीति निर्माताओं एवं व्यवसायियों हेतु संक्षिप्त परिचय निदेशिका विकसित करने के लिए छः महीनों में समिति की चार बार बैठकें हुई | निदेशिका के प्रारूप बाली प्रक्रिया के सदस्यों एवं प्रेक्षकों को उनकी लिखित टिप्पणी हेतु परिचारित किये गए तथा बैंकाक, थइलैंड में 24-25 मार्च, 2015 को आयोजित बाली प्रक्रिया परामर्श कार्यशाला के दौरान इस पर व्यापक रूप से चर्चा और समीक्षा की गई | अवैध कारोबार के शिकार लोगोंकी पहचान और उनके संरक्षण से जुड़े नीति-निर्माताओं एवं व्यावसायिकों के सुलभ सन्दर्भ-हेतु तैयार की गई इस नीति-निदेशिका की उपयोगिता से प्रतिभागी सहमत थे | सदस्यों से प्राप्त टिप्पणियों के सन्दर्भ में, प्रारूपण समिति ने महत्वपूर्ण परिवर्तनों एवं संस्तुतियों का समावेश करते हुए प्रारूप में आशोधन किया |

इस नीति-निदेशिका का उद्देश्य अवैध कारोबार के शिकार लोगों की पहचान एवं उनके संरक्षण के संबंध में, अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मानकों का विहंगावलोकन कराते हुए बाली प्रक्रिया के सदस्य देशों को स्वस्थ परम्पराओं के आदर्श उदाहरणों की ओर खास तौर पर आकर्षित करना है | अप्रैल 2013 में आयोजित पांचवे मंत्री-स्तरीय सम्मलेन में की गई संस्तुतियों के अनुसार ये नीति-निदेश बाली प्रक्रिया नीति-निदेशिका के दूसरे सेट हैं, जो बाली प्रक्रिया की भावानाओं के अनुरूप हैं और बाली प्रक्रिया के सदस्यों की विशेष चिंताओं के सन्दर्भ में प्रासंगिक हैं | ये स्वैच्छिक, अबाध्यकर तथा बाली प्रक्रिया के सदस्य देशों में कार्यरत घरेलू एजेंसियों के सुलभ सन्दर्भ हेतु काम में लाये जाने के लिए हैं |

लिसा क्राफोर्ड
RSO सह-प्रबंधक (ऑस्ट्रेलिया)

बेबेब AKN द्जुन्द्जुनन
RSO-सहप्रबंधंक (इंडोनेशिया)

REGIONAL SUPPORT OFFICE
THE BALI PROCESS

आद्यक्षर शब्द एवं शब्दों का संक्षिप्त रूप

एसियान	दक्षिणी-पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ
बाली प्रक्रिया	मानव तस्करी, व्यक्तियों के अवैध कारोबार एवं तत्संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अपराध संबंधी बाली प्रक्रिया
आईएलओ	अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
आइ ओ एम्	आप्रवासन हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन
एनजीओ	गैर सरकारी संगठन
संगठित अपराध समझौता	संगठित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र समझौता
आरएसओ	बाली प्रक्रिया हेतु क्षेत्रीय सहायक कार्यालय
व्यक्तियों के अवैध व्यापार संबंधी प्रोटोकॉल	व्यक्तियों,, विशेषत: महिलाओं और बच्चों के अवैध कारोबार की रोकथाम, दमन, व दंड देने तथा संगठित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र समझौते का पूरक प्रोटोकॉल विषय
यूएन	संयुक्त राष्ट्र
यूएनओडीसी	नशीली दवाओं एवं अपराधों की रोकथाम हेतु संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय

विषय सूची

कार्यपालक से सार-संक्षेप **2**

अनुभाग 1: **अवैध कारोबार के शिकार लोगों को पहचानने की प्रस्तावना** **3**

1.1. अवैध कारोबार का शिकार कौन है 3

1.2. मानव-के अवैध कारोबार की परिभाषा 6

1.3. शोषण के प्रकारों को समझना 8

अनुभाग 2: **उत्तरदायित्व, हित एवं चुनौतियाँ** **12**

2.1. पहचान महत्वपूर्ण क्यों है 12

2.2. यह समझना कि अवैध कारोबार के शिकार व्यक्ति अपनी पहचान के प्रति क्यों उदासीन हैं 14

अनुभाग 3: **शिकार लोगों को पहचानने की प्रक्रिया** **16**

3.1. अवैध कारोबार के शिकार लोगों की पहचान कौन कर सकता है ? 16

3.2. बाली प्रक्रिया 18

3.3. अवैध कारोबार के संकेतक 21

अनुभाग 4: **अवैध कारोबार के शिकार लोगों की पहचान के संकेतों का सारांश** **28**

कार्यपालक से सार-संक्षेप

अवैध कारोबार का शिकार वह है जो, 'व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के अवैध कारोबार की रोकथाम, दमन एवं दंड देने संबंधी प्रोटोकॉल 'में परिभाषित 'व्यक्तियों के अवैध कारोबार' का शिकार है | अवैध कारोबार के शिकार लोगों की पहचान में विफलता के कारण उनका शोषण निरन्तर जारी रहता है और वे अपेक्षित सहायता व संरक्षण प्राप्त नहीं कर पाते, जिनके वे हकदार हैं | इसके अलावा, संबंधित प्राधिकारी अवैध कारोबारियों को दण्डित करने हेतु अपेक्षित जानकारी एवं साक्ष्य भी नहीं जुटा पाते हैं | अत: इन गंभीर अपराधों की रोकथाम और तत्संबंधित कानूनी कार्रवाई करते हुए अवैध कारोबार के शिकार हुए लोगों की सहायता एवं संरक्षण हेतु उनकी पहचान इस प्रक्रिया का आवश्यक अंग है|

व्यवसायी अवैध कारोबार के शिकार हुए लोगों की पहचान तभी कर पायेंगे जब उन्हें मालूम हो कि क़ानून में व्यक्तियों के अवैध कारोबार को कैसे परिभाषित किया गया है तथा ऐसे लोगों के शोषण कैसे-कैसे हो सकते हैं | तदनुसार, यह नीति-निदेशिका व्यक्तियों के अवैध कारोबार और उसके विभिन्न प्रकारों का विहंगावलोकन करती है | इस निदेशिका हेतु अवैध कारोबार के शिकार हुए लोगों की 'पहचान' को व्यापक सन्दर्भ में समझा गया है | इसमें पहली बार संपर्क में आए शिकार **की प्रारम्भिक जांच** से लेकर उसे शिकार मान लेने के बाद **तक की** प्रारम्भिक सहायता एवं संरक्षण प्रक्रिया शामिल **है** | ज्यों-ज्यों साक्ष्य मिलते है, शिकार के रूप में उस व्यक्ति के स्तर का **सत्यापन होता रहता है तथा** कुछ मामलों में तो, आपराधिक प्रक्रिया पूरी होने पर संबंधित व्यक्ति के शिकार होने की आधिकारिक पुष्टि की जाती है |

अवैध कारोबार के शिकार की पहचान करना बुनियादी रूप से कठिन हैं और इसीलिये नीति-निदेशिका शिकार के रूप में किसी व्यक्ति को पहचानते समय राज्यों को तरकीब से काम लेने के लिए प्रोत्साहित करती है | शिकार के रूप में संदिग्ध व्यक्ति को विश्वास में लेने हेतु प्राधिकारियों द्वारा पर्याप्त समय लेने से पहले, विशेष रूप से प्रारम्भिक संपर्क करते समय, ऐसा करना उपयोगी रहेगा | किसी को शिकार व्यक्ति निर्धारित किये जाने के साथ ही उसे समुचित सहायता एवं संरक्षण दिया जाना चाहिए | बाद में यदि ऐसा लगे कि उसे शिकार माने जाने का कोई आधार नहीं था तो उसे दी जा रही सहायता व संरक्षण तदनुसार समायोजित किया अथवा वापस लिया जा सकता है |

अगली जांच-पड़ताल के प्रारम्भिक बिंदु के तौर पर अवैध कारोबार के 'संकेतकों' का प्रयोग करते हुए पहचान प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकता है | निदेशिका में, नमूने के तौर पर, संकेतकों की सूची प्रस्तावित की गई है जिसमें विभिन्न प्रकार से किये जा रहे शोषण का उल्लेख भी शामिल है, ताकि अवैध कारोबार के शिकार व्यक्ति की पहचान करने में व्यावसायिक एवं गैर विशेषज्ञों को सुविधा रहे **राज्यों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे गैर-विशेषज्ञों सहित सभी पण धारकों को** संभावित परिस्थितियों का मुकाबला करने संबंधी अपेक्षित दिशा निदेश देते हुए **इन संकेतकों को अद्यतन बनाएँ, अपनाएँ और उनका मूल्यांकन करते रहें** |

हालांकि अवैध कारोबार के शिकार लोगों की पहचान करना प्राथमिक तौर पर राज्यों की ज़िम्मेदारी है फिर भी, गैर-सरकारी और नागरिक संगठन पहचान प्रक्रिया की अमूल्य धरोहर हैं और शिकार व्यक्तियों और प्राधिकारियों के बीच परस्पर विश्वास और घनिष्ठता कायम करने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें पूरा सहयोग दिया जाना चाहिए | राज्यों की अग्रिम पंक्ति के प्राधिकारी जो विधि प्रवर्तन, सीमा, आप्रवासन, श्रम नियंत्रण, एवं समाज सेवा से जुड़े हैं उन्हें समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, साथ ही विशेष दक्षता दिलाई जाय ताकि वे निर्धारित पीड़ितों की पहचान करते समय उनकी गोपनीयता बनाये रखते हुए उनके चरित्र का अंदाजा लगा सकें | समुदाय के सदस्यों को भी परिस्थितियों से अवगत कराया जाना चाहिए तथा उन्हें भी यह जानकारी होनी चाहिए कि अवैध कारोबार के शिकार माने गए व्यक्ति की पहचान कैसे होती है और ऐसे व्यक्तियों की जानकारी प्राधिकारियों को कैसे दी जाती है |

अनुभाग 1:

अवैध कारोबार के शिकार व्यक्ति की पहचान - प्रस्तावना

1.1. अवैध कारोबार का शिकार कौन है ?

व्यक्तियों का अवैध कारोबार एक गैर-कानूनी प्रथा है जो अलग-अलग स्वरूपों में दिखती है और समूचे क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न लक्षण दिखाती है | पुरुष, महिलायें और बच्चे कृषि, निर्माण, देख-भाल व आतिथ्य, घरेलू कामकाज, मनोरंजन व खेल, वन, मत्स्य , खान और कपड़ा उद्योग जैसी कई औद्योगिक श्रृंखलाओं में शोषित किये जाते रहे हैं | लोगों का शोषण देश-विदेश में कहीं भी हो सकता है | हालांकि लोगों को व्यक्तियों के अवैध कारोबार में लाये जाने के कई कारक हो सकते हैं लेकिन सार्वाधिक जोखिम बिना दस्तावेज के आप्रवासियों, जाति-विशेष के अल्पसंख्यकों और लावारिस बच्चों के समूहों को होता है | गरीबी, बे-रोजगारी, लिंग-भेद, शैक्षणिक अवसरों व संसाधनों की कमी तथा सुव्यवस्थित जन्म-पंजीकरण न होने जैसे कई कारक व्यक्तियोंके अवैध कारोबार की संवेदनशीलता बढ़ा देते हैं |

कोई भी व्यक्ति अवैध व्यापार का शिकार हो सकता है चाहे वो किसी भी उम्र, लिंग, लिंग-उन्मुखता, राष्ट्रीयता, जाति या समाज मूल का, विकलांग और या परिस्थितियों से विवश क्यों न हो | अवैध कारोबार का शिकार, आम तौर पर, वह है जो व्यक्तियों के अवैध कारोबार का शिकार हुआ है | जैसा कि नीचे अनुभाग 1.2 में उल्लेख किया गया है, व्यक्तियों, विशेष तौर पर महिलाओं और बच्चों के अवैध कारोबार की रोकथाम, दमन एवं दंड देने के प्रोटोकॉल (व्यक्तियों के अवैध कारोबार का प्रोटोकॉल) में 'व्यक्तियों के अवैध कारोबार' के अपराध को परिभाषित किया गया है |

व्यवहार में यह पहचानना हमेशा आसान नहीं है कि ऐसे अपराधों का शिकार कौन है | इनमें कई रुकावटें हैं, जिनमें भाषा व संस्कृति से संबंधित सम्प्रेषण की चुनौतियाँ तथा पहले संपर्क बिंदु पर प्राधिकारियों से बात करने में भय और अविश्वास की भावना शामिल है | अपने अनुभवों के आधार पर पीड़ितों को इस बात का आभास भी नहीं होता कि वे अवैध कारोबार का शिकार या शोषित हुए हैं | कुछ लोग तो यह भी मान लेते हैं कि भले ही उनकी सहमति जोर-जबरदस्ती, धमकी या धोखे से ही क्यों न ली गई हो, उन्होंने अपनी परिस्थिति से समझौता कर लिया है | इन विभिन्न कारणों से अवैध कारोबार के शिकार की पहचान कभी नहीं हो पाती | यदि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति से गुज़र रहां है जिसके चलते उसे व्यक्तियों के अवैध कारोबार का शिकार माना जा |

> **संकेत**: अवैध कारोबार के निर्धारित शिकार को शिकार मानने के पक्ष में प्रस्तावना दें
>
> अवैध कारोबार के शिकार लोगों को पहचानने की राजकीय नीति प्राधिकारियों को यह अनुमति दे कि वे अवैध कारोबार के निर्धारित शिकार को प्रारम्भिक सहायता एवं संरक्षण देने की दृष्टि से वस्तुत: शिकार मानकर अपेक्षित कार्रवाई करें

शिकार माना जा सकता है तब उसे शिकार मान लेना एक अच्छी प्रथा है | इस धारणा को लागू करने का अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति को अवैध कारोबार का शिकार मान लिये जाने में आशंका है तब प्राधिकारी उसे सहायता एवं संरक्षण देने की दृष्टि से ज़रूरतमंद मान लेते हैं | बाद में, यदि यह निर्णय होता है कि अवैध कारोबार का शिकार नहीं होने की वजह से उसे सहायता व संरक्षण देना आवश्यक नहीं है तो ऐसी सहायता किसी भी समय बंद की जा सकती है | अवैध कारोबार का शिकार दिखनेवाला व्यक्ति शारीरिक अथवा यौन उत्पीडन, या अपहरण जैसे किसी अन्य अपराध का शिकार भी हो सकता है | यदि यह तय कर लिया जाता है कि संबंधित व्यक्ति अवैध कारोबार का नहीं, बल्कि अन्य अपराध का शिकार है तो उसे और अधिक उपयुक्त सहायता सेवा में भेज दिया जाना चाहिए | अवैध कारोबार से पीड़ित व्यक्ति अपने मूल वतन से बाहर भी हो सकते हैं जिनके मन में यह डर घर कर गया होता है कि उनकी नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी सामाजिक समूह या राजनीतिक विचारधारा विशेष से सम्बद्ध होने के कारण उन्हें अपने देश में सताया जाएगा | ऐसे मामलों को शरणार्थी प्रक्रिया में भिजवाया जाना चाहिए | व्यक्तियों के अवैध कारोबार का अनुभव कर चुके लोग अपराध के शिकार होते हैं तथा राज्यों को ऐसा ही समझकर

---

1 समूचे दस्तावेज में 'व्यक्तियों के अवैध कारोबार' से आशय व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के अवैध कारोबार से है जिसका उल्लेक्ष व्यक्तियों के अवैध कारोबार की रोकथाम, दमन, तथा दंड देने संबंधी प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 3 में दी गई परिभाषा में किया गया है |

संकेत: व्यक्तियों के अवैध कारोबार संबंधी अपराधों के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करें

जो व्यक्ति अवैध कारोबार के शिकार नहीं माने गए हैं वे अन्य अपराधों से पीड़ित हो सकते हैं तथा उन्हें सहायता एवं संरक्षण की ज़रुरत हो सकती है | अवैध कारोबार के शिकार लोगों की पहचान के लिए जिम्मेदार व्यवसायियों को तत्संबंधित अन्य प्रकार के अपराधों से अवगत कराया जाना चाहिए एवं तदनुसार कार्रवाई करने योग्य बनाया जायें |

उन्हें तदनुसार संरक्षण देना चाहिए | अपराधों के शिकार होने के अलावा अवैध कारोबार के शिकार व्यक्तियों को मानवाधिकारों का हनन एवं शारीरिक व मानसिक आघात, भावनाओं को ठेस पहुंचना, शर्मिंदा या कलंकित होना तथा आर्थिक क्षति जैसे अन्य ज़ख्म भी झेलने पड़े हो सकते हैं |

ऐसे व्यक्तियों को शिकार मान लिया जाना चाहिए भले ही अवैध कारोबार करने वाले आरोप के तौर पर उसकी पहचान हो चुकी हो, वह गिरफ्तार हो चुका हो, अभियुक्त या दोषी करार दिया गया हो, और पीड़ित से उसका पारिवारिक रिश्ता हो |

तालिका 1: शिकार की पहचान में मिथक एवं वास्तविकता [2]

मिथक	वास्तविकता	*अधिक जानकारी हेतु देखें:*
अवैध कारोबार के शिकार को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करनी होगी		अवैध कारोबार में, हालांकि कई लोगों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार ले जाया गया है, परंतु व्यक्तियों का अवैध व्यापार किसी देश की सीमा में भी हो सकता है, जिसे आतंरिक या घरेलू अवैध कारोबार का गया है		*1.2 व्यक्तियों के अवैध कारोबार को परिभाषित किया गया है |*
केवल महिलाऐं और बच्चे ही अवैध कारोबार के शिकार हो सकते हैं	महिलाओं और बच्चों का अवैध कारोबार पर शोध-कार्य एवं मीडिया कवरेज का अधिक 'फोकस रहा है, किन्तु सभी प्रकार के अवैध कारोबार में पुरुषों का भी, खास तौर पर जोर-जबर्दस्ती से, श्रमिक कार्यों हेतु शोषण हुआ है		*1.2. मनुष्यों का अवैध कारोबार परिभाषित* *1.3. शोषण के स्वरूप की समझ*
अवैध कारोबार के शिकार सभी लोगों को यौन शोषण के लिए लाया जाता है		हालांकि अधिकाँश अवैध कारोबार यौन शोषण के लिए होता है फिर भी,जोर जबरदस्ती से श्रम कराने, गुलामी और गुलामी जैसे ही अन्य सेवाओं,दासता, अंग प्रत्यारोपण जैसे कई अन्य प्रकार के शोषण के लिए भी व्यक्तियों का अवैध कारोबार होता रहा है		*1.3. शोषण के स्वरुप की समझ*

2.इस तालिका में उल्लिखित बिन्दुओं से संबंधित और अधिक जानकारी निम्नलिखित सन्दर्भ ग्रंथों में मिल सकती है ' ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स UNODC,2014; ILO ग्लोबल एस्टीमेट ऑफ़ फोर्सड लेबर 2012 रिजल्ट्स & मेथोडोलोजी, ILO 2012 ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट 2014 यूनाइटेड स्टेट्स गवर्मेंट, डिपार्टमेंट ऑफ़ स्टेट् , ऑफिस ऑफ़ मॉनिटर एंड कॉम्बैट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स 2014

सेक्स उद्योग से जुड़े सभी लोग मनुष्यों के अवैध कारोबार से पीड़ित हैं।	हालांकि यौन शोषण के लिए व्यक्तियों का क्रय-विक्रय अवैध कारोबार की सुस्पष्ट और आम बात रही है किन्तु ज़रूरी नहीं हैं कि सेक्स उद्योग में कार्यारत सभी लोग अवैध कारोबार के शिकार हैं। जोर जबरदस्ती, धमकी या धोखा जैसे निषिद्व तौर-तरीकों से संकेत मिलता है कि उन्हें (वयस्क पीड़ितों को) यौन शोषण हेतु अवैध रूप से लाया गया होगा।	*1.3. शोषण के स्वरुप की समझ* *3.3. व्यक्तियों के अवैध कारोबार के संकेतक*
सभी गैर-दस्तावेजी आप्रवासी अवैध कारोबार के शिकार हैं। नियमित आप्रवासी अवैध कारोबार के शिकार नहीं हो सकते।	हालांकि जिस देश में शिकार हुए लोगों का शोषण हो रहा है वहां उन्हें अनियमित तौर-तरीकों से लाया गया है, किन्तु अनियमित रूप से प्रवेश लेनेवाले सभी आप्रवासी शोषित नहीं हैं। इसके अलावा, नियमित चेनलों से किसी देश में आने और रहने वाले व्यक्ति भी अवैध कारोबार के शिकार हो सकते हैं।	*1.2. मनुष्यों का अवैध कारोबार परिभाषित* *2.2 अवैध कारोबार के शिकार लोगों की पहचान व् तत्संबंधित चुनौतियों का सामना करना* *3.3. व्यक्तियों के अवैध कारोबार के संकेतक*
जो लोग अपनी परिस्थिति से परिचित हैं अथवा इससे समझौता कर चुके हैं, वे अवैध कारोबार के शिकार नहीं कहे जा सकते।	हालांकि किसी व्यक्ति ने अपनी स्थिति स्वीकार कर ली दिखती हो या (अपने रोजगार की शर्तो) को स्वीकार कर लीं हों,तो भी प्रथम दृष्टि में वह भी अवैध कारोबार का शिकार ही माना जाएगा बच्चे की सहमति हमेशा कोई प्रासंगिकताकता नहीं रखती और वयस्क की सहमति तब अप्रासंगिक है जब उसकी सहमति- जोर-जबरदस्ती से, डरा धमका कर या धोखे जैसे गलत तरीके से लेकर काम करवाया जाय।	*1.2. मनुष्यों का अवैध कारोबार परिभाषित* *3.3. व्यक्तियों के अवैध कारोबार के संकेतक*
जो लोग अवैधकारोबारी के रिश्तेदार हैं या उनसे सम्बन्ध रखते हैं वे शिकार नहीं माने जा सकते।	अवैध कारोबारियों द्वारा अक्सर शिकार को लालच दी जाती है अथवा मित्रों और सम्बन्धियों द्वारा उन्हें अवैध कारोबार की परिस्थितियों में फंसने के लिए उत्प्रेरित किया जता है। विवाह एवं अन्तरंग सम्बन्ध अन्य ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा अवैध कारोबारी अपने शिकार पर शिकंजा कसे रखते हैं। दास-प्रथा अथवा जबरन विवाह भी 'गुलामी जैसे ही माने जाते हैं। [3]	*3.3. व्यक्तियों के अवैध कारोबार के संकेतक*
जो लोग यह मानते हैं कि उनका जीवन पहले से आसान अथवा आर्थिक दृष्टि से कहीं बेहतर है, उन्हें व्यक्तियों के कारोबार का शिकार नहीं माना जा सकता।	अधिक पैसे कमाने या / तथा अपेक्षाकृत आरामदायक जीवन जीने के बावजूद कुछ लोग अवैध कारोबार के शिकार हो सकते हैं। शोषण का मूल्यांकन सकारात्मक सोच के साथ किया जाना चाहिए।	*2.2. अवैध कारोबार के शिकार लोगों की पहचान व् तत्संबंधित चुनौतियों का सामना करना* *3.3. व्यक्तियों के अवैध कारोबार के संकेतक*

3 'गुलामी जैसी प्रथाओं' शब्द की परिभाषा 1956 के पूरक समझौते 'गुलामी उन्मूलन, गुलामों का व्यापार, तथा गुलामी जैसे संस्थान एवं प्रथाएँ (पूरक समझौते) के अनुभाग 1.3 में दी गई है|

1.2. व्यक्तियों का अवैध कारोबार परिभाषित

व्यक्तियों के अवैध कारोबार से संबंधित प्रोटोकॉल के घोषित उद्देश्यों में से एक यह है कि अवैध कारोबार के शिकार लोगों के मानवाधिकारों [4] का पूरा सम्मान करते हुए उनको संरक्षण एवं सहायता दी जाय | इस उद्देश्य में राज्यों से अन्तर्निहित अपेक्षा यह है कि वे इस अवैध कारोबार के शिकार हुए उन लोगों की पहचान करें, जिन्हें सहायता व संरक्षण की ज़रुरत है | अवैध कारोबार के शिकार लोगों की पहचान करने के लिए राज्यों के प्राधिकारियों को पहले यह समझाना होगा कि अपराध की कानूनी परिभाषा के अनुसार व्यक्तियों का अवैध कारोबार क्या है | अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम के व्यक्तियों के अवैध कारोबार प्रोटोकॉल की धारा 3(ए) में इस अपराध को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

> *"व्यक्तियों के अवैध कारोबार' से आशय शोषण हेतु डरा-धमका कर या जबरन, या जोर-जबरदस्ती से या जोर-जबर्दस्ती के अन्य तरीकों, यथा अपहरण, धोखाधड़ी, छल, कपट, अधिकारों का दुरुपयोग, या संवेदनशील स्थिति का दुरुपयोग, या भुगतान देकर या लेकर, अथवा 'शिकार' पर नियंत्रण रखने वाले अन्य व्यक्ति को लाभ पहुंचाकर उसकी सहमति हासिल करते हुए व्यक्तियों की भरती, परिवहन, स्थानान्तरण, आश्रय देना, या प्राप्त करना है |शोषण में, कम से कम, अन्यों से वैश्यावृत्ति कराना, यौन शोषण के अन्य प्रकार, जबरन मजदूरी कराना या सेवाएं लेना, गुलामी या गुलामी जैसी अन्य प्रथाएँ, दासता, या शारीरिक अंगों को चुराना शामिल है |*

नीचे फिगर 1 में वे तीन कारक दिए गए हजो वयस्क व्यक्तियों के अवैध कारोबार के अपराध में पाए जाते हैं | प्रत्येक कॉलम का कोई भी एक कारक अवैध कारोबार को साबित करने के लिए अपेक्षित है |

फिगर 1: व्यक्तियों के अवैध कारोबार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय क़ानूनी परिभाषा के महत्त्वपूर्ण कारक [5]

4.ट्राफिकंग इन पर्सन्स प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 2(b) देखें

5. स्रोत: पालिसी गाइड ऑन क्रिमिनलाइज़िंग ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स , बाली प्रोसेस , 2014 पेज 5 देखें

प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 3(बी) के अनुसार शिकार की सहमति लेने के लिए विहित साधनों में से यदि किसी भी साधन का उपयोग किया गया तो सहमति अर्थहीन हो जाती है |अनुच्छेद 3 (सी) एवं (डी) के अनुसार शिकार यदि 18 वार्ष से कम उम्र का बच्चा हो तो विहित साधनों के उपयोग को साबित करने की भी जारूरत नहीं होगी |[6]

व्यक्तियों के अवैध कारोबार की समस्या से निपटने के लिए प्रोटोकॉल पहला लिखत नहीं है किन्तु यह आज तक की सबसे व्यापक परिभाषा देता है एवं राज्यों को अपने रास्ट्रीय कानूनों में अपराधों को परिभाषित करने का आधार देनेवाला प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय लिखत है | अनुच्छेद 3 की परिभाषा इस मानक को निर्धारित करने में बहुत सहायक रही है कि पुरुष व लड़के भी व्यक्तियों के अवैध कारोबार के पीड़ित हो सकते हैं और 'शोषण' से आशय सिर्फ यौन शोषण ही नहीं, अन्य अनेक प्रकार के शोषण से है |[7] परिभाषा में सूचित विभिन्न प्रकार के शोषणों की सूची में 'जबरन मजदूरी व सेवाएं' तथा 'गुलामी एवं गुलामी जैसी अन्य प्रथाएँ. दासता और अंग निकाल लेने जैसे अपराध भी शामिल होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क़ानून में अन्यत्र परिभाषित हैं | हालांकि यह सूची शोषण की विभिन्न प्रथाओं को शोषण की परिभाषा में शामिल करने के न्यूनतम मानक निर्धारित करती है, फिर भी यह अपने आप में संपूर्ण नहीं है, जिससे यह परिभाषा शोषण के नए स्वरूपों को शामिल करने की दृष्टि से लोचदार है |

व्यक्तियों के अवैध कारोबार की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा की व्याख्या करने के विभिन्न तौर-तरीके हैं| कुछ नज़रियों के अनुसार व्यक्तियों का अवैध कारोबार शोषण के अलावा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के शोषणों के लिए शिकार को सुपुर्द किया जाता है (भर्ती, परिवहन, स्थानान्तरण,आश्रय या प्राप्ति), जब कि अन्यों के अनुसार इस अपराध में प्रक्रिया और (शोषण के) परिणाम दोनों शामिल हैं | उदाहरणार्थ, पाठ में दी गई परिभाषा की विशुद्ध व्याख्या के अनुसार आवाजाही में व्यक्तियों का कारोबार अन्तर्निहित तो नहीं है, किन्तु आवाजाही में व्यक्तियों के अवैध कारोबार को अव्यक्त समझे बिना शोषण के उल्लिखित स्वरूपों से व्यक्तियों के अवैध कारोबार की तुलना करना कठिन हो जाता है | जैसे कि जबरन मजदूरी, जिसकी पारिभाषा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में अन्यत्र दी गई है | इसके अलावा, विभिन्न राज्यों के राष्ट्रीय कानून में उल्लिखित अव्यक्त अपराधों के स्वरुपों में अंतर है |

अंतर्राष्ट्रीय क़ानून [8] के अनुसार व्यक्तियों के अवैध कारोबार और प्रवासियों की तस्करी में कानूनी अंतर है | व्यवहार में, विशेष रूप से जहां एक देश से दूसरे देश में व्यक्तियों का अवैध तस्करी के शिकार प्रावासी अपनी यात्रा के दौरान या गंतव्य देश में आकर अवैध कारोबार या शोषण के अन्य स्वरूपों के शिकार होने की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील होते हैं | अपराधी एक ही कार्रवाई में, व्यक्तियों के अवैध कारोबार के साथ-साथ समूह के कुछ लोगों की तस्करी,-दोनों ही अपराध कर सकते है| हालांकि तस्करी में लाये गए प्रवासी तस्करों के साथ स्वेच्छा से करार करते है , फिर भी वे अवैध कारोबार, शोषण एवं अन्य प्रकार के अपराधों (जिसमें छीना-झपटी, गाली-गलौंज, यौन उत्पीडन, बलात्कार या अत्याचार शामिल हैं) का आसानी से शिकार हो सकते हैं| तस्कर-यात्रा के दौरान परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं कि उनके द्वारा पहले चुने गए विकल्प अर्थ-हीन हो जाँय|(10) उदाहरणार्थ ,बीच रास्ते में प्रवासी लाचारीवश खुद को तस्करं के अधीन कर सकते हैं, और कोई विकल्प के बिना यात्रा के भावी परिणाम का विचार किये बिना यात्रा जारी रखने को विवश हो सकते हैं| ऐसी परिस्थितियां पैदा होने की अवधि के आधार पर पकडे गए लोग अवैध कारोबा के शिकार मानने के बजाय तस्करित प्रवासी माने जा सकते हैं| अवैध कारोबार के अपराध को साबित करने के लिए शोषण का उद्देश्य अपेक्षित है| लेकिन यह शोषण हो जाने के बाद ही इसका पता चलता है|

संकेत: संवेदनशील समूहों में अवैध कारोबार के शिकार लोगों को पहचानें

शोषण के चरण से पूर्व अवैध कारोबार से पीड़ितों की पहचान दुष्कर कार्य है| राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी नीतियों में निषेध के वे उपबंध शामिल हैं जो तस्करीकृत प्रवासियों सहित अवैध कारोबार का शिकार होने की आशंका वाले लोगों की पहचान में प्राधिकारियों की सहायता करें|

6 मनुष्यों के अवैध व्यापार का अपराधीकरण पर नीति-निदेशिका, बाली प्रक्रिया, 2014 पेज 4–5 देखें|

7. जहाँ वर्ष 1904, 1910 एवं 1933 के अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में वैश्यावृत्ति हेतु महिलाओं और लडकियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार लाने -ले जाने की प्रथा और 1949 के समझौते में व्यक्तियों के अवैध कारोबार के दमन पर ध्यान केन्द्रित किया गया था और वैश्यावृत्ति हेतु अन्यों के शोषण में महिलाओं और बच्चों के साथ 'कोई भी' जोड़ा गया था किन्तु पालेर्मो प्रोटोकॉल अवैध कारोबार निषेध पर जोर देने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय लिखत था जिसमें उन सभी प्रकार के शोषणों को शामिल किया गया था, जो ज़रूरी नहीं कि, यौन से ही जुड़े हों.|

8.अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ के पूरक - स्थल, समुद्री या वायु मार्ग से तस्करी संबंधी प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 3 के अनुसार प्रवासियों की तस्करी से आशय 'वित्तीय एवं अन्य भौतिक लाभों के लिए एक राज्य में किसी ऐसे व्यक्ति के अवैध प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करना है जो उस राज्य का राष्ट्रीय अथवा स्थायी निवासी' नहीं है|

9.मनुष्यों के अवैध व्यापार और प्रवासियों की तस्करी के अंतर पर विस्तृत चर्चा के लिए व्यक्तियों के अवैध व्यापार के अपराधीकरण , बाली प्रक्रिया, 2014 नीति-निदेशिका के पेज 8-9 तथा प्रवासियों की तस्करी से संबंधित नीति-निदेशिका को देखें |

10.स्थल, जल और वायु मार्ग से तस्करी के विरुद्ध प्रोटोकॉल (प्रवासियों की तस्करी से संबंधित प्रोटोकॉल) में अनिवार्य संरक्षण संबंधी उपबंध वही हैं जो व्यक्तियों के अवैध कारोबार के लिए निर्धारित किये गए हैं |

यह सुनिश्चित करने के लिए, कि अवैध कारोबार के शिकार की पहचान हो चुकी है, प्राधिकारियों को तस्करीकृत प्रवासियों में अवैध कारोबारर के सकेतकों को ध्यान में रखना चाहिए| करना कठिन हो सकता है |

1.3. शोषण के स्वरुप को समझना

शोषित होने के बाद ही अवैध कारोबार के अधिकांश शिकारों की पहचान हो पाती है, और इसीलिए अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून के तहत परिभाषित शोषण के विभिन्न स्वरूपों को समझना महत्वपूर्ण है| अवैध कारोबार का अनुमान लगाने के लिए शोषण के साक्ष्य ख़ास तौर पर उपयोगी होते हैं |

कई देशों में, यौन शोषण के लिए किये जानेवाले अवैध कारोबार पर कड़ी नज़र राखी जाती रही है| खास तौर पर, महिलाओं और बच्चों का यौन शोषण दुनिया भर की जटिल समस्या रही है किन्तु शोषण के अन्य प्रकारों को भी समझना आवश्यक है|

जबरन मजदूरी कराना या सेवा लेना

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) जबरन मजदूरी समझौता 1930 के अनुसार 'जबरन मजदूरी या सेवाएं वे सभी कार्य और सेवाएं हैं जो किसी व्यक्ति को दंड का डर दिखाकर उससे जबरन ली जातीं हैं और जिसके लिए उक्त व्यक्ति स्वेच्छा से तैयार नहीं है|[11] 'डर' की व्याख्या में नियोजक द्वारा दिया जाने वाला शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक उत्पीडन भी शामिल है,[12] जैसे कर्मचारियों को पदोन्नति, स्थानान्तरण, नये रोजगार या आवास की संभावनाओं से इनकार करना|[13] अनिच्छा जबरन मजदूरी की पहचान कराने में सहायक है| जब तक मजदूर कोई काम करने के लिए स्वतंत्र रूप से सहमत नहीं होता तब तक वह ज़बरन मजदूरी होगी और श्रमिक अपनी सहमति कभी भी वापस ले सकता है|

'बाल-श्रमिक' बनाम 'बाल-कार्य'
रोजगार में भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र से संबंधित 1973 के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) समझौते के अनुसार बाल-श्रम 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति से कराया जाने वाला ऐसा काम या सेवा है जो उसके स्वास्थय और सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है, या जो उसकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण को बाधित करता है | बाल-श्रम और बल-कार्य में अंतर यह है कि बाल श्रम बच्चों के स्वास्थय, सुरक्षा एवं उनके शैक्षणिक अवसरों से कोई समझौता नहीं करता |और स्वास्थय अथवा शैक्षणिक अवसरों से कोई समझौता नहीं करता |

11. जबरन श्रम समझौते के प्रोटोकॉल को शामिल करते हुए जबरन मजदूरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा की गई परिभाषा की वर्ष 2014 में पुन पुष्टि की गई है| अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मलेन, जबरन श्रम समझौते का पाठ,1930, अस्थायी रिकॉर्ड, 9A 103 वां सत्र, जेनीवा 2014 अनुच्छेद 1(3)

12. समझौते व संस्तुतियों को लागू करने से संबंधित ILO विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट, रिपोर्ट III (भाग1A)अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मलेन, 90वां सत्र, जेनेवा 2002 पेज 98

13. समझौते एवं सिफारिशों को लागू करने से संबंधित विशेषज्ञ समिति द्वारा जबरन श्रम के उन्मूलन पर आम सर्वेक्षण, ILC 65वां सत्र, जेनेवा 1979, परा 21(अब से जबरन मजदूरी उन्मूलन,आम सर्वेक्षण 1979) जबरन श्रम निवारण, 2007 का आम सर्वेक्षण, पारा 37

गुलामी तथा गुलामी जैसी प्रथाएँ

गुलामी शोषण का अत्यधिक घिनौना स्वरुप है| गुलामी से मुक्ति अंतर्राष्ट्रीय क़ानून की कुछ ऐसी शर्तों में से एक है जिसे राज्य अनदेखी नहीं कर सकते, अर्थात किसी भी परिस्थिति में राज्य गुलामी -प्रथा को चलने नहीं दे सकते| वर्ष 1926 में गुलाम व्यापार और गुलामी के निषेध हेतु सम्पन्न सम्मलेन (जिसे गुलामी-समझौता कहा जाता है) में पहली बार गुलामी को इस तरह परिभाषित किया गया था 'गुलामी किसी व्यक्ति का वह स्तर एवं स्थिति है जिस पर स्वामित्व का कोई भी या सभी अधिकार प्रयोग में लाये जा सकते हैं'|[14] गुलामी मूलत: स्वामित्व से जुड़े अधिकारों से संबंधित है जिनके अनुसार पारम्पारिक गुलामी को आज भी दासता के समकालीन स्वरुप की छाप माना गया है| गुलामी समझौते के अनुसार, गुलामी के कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों में पीड़ित का नाम, धर्म, विवाह एवं यौन-संबंधों के भागीदार तथा उसकी संतानों के भाग्य-निर्णय का अधिकार भी शामिल है|[15] गुलामी में ऐसा आचरण भी शामिल है जो शिकार हुए व्यक्ति को अपनी जीविका चलाने की शारीरिक व मानसिक क्षमता का भी अवमूल्यन करता है| [16]

संकेत: गुलामी को पहचानें

गुलामी स्थिति की दशा से नहीं, अपराधी और उसके शिकार के बीच मौजूदा सम्बन्ध से पहचानी जाती है| प्राधिकरियों को यह समझना चाहिए कि गुलामी की स्थिति में रहने वाला व्यक्ति सोचता है कि मैं आराम से रहता हूँ किन्तु उसे व्यक्तिगत निर्णय खुद लेने का मौलिक अधिकार नहीं होता|

गुलामी जैसी प्रथाएं 1956 के गुलामी उन्मूलन, गुलामों के व्यापार, तथा गुलामी जैसे संस्थान एवं परम्पराएं रोकने से संबंधित पूरक समझौते (पूरक समझौते) द्वारा प्रतिबंधित हैं| गुलामी जैसे संस्थानों एवं परम्पराओं से आशय शोषण युक्त मानवीय संबंधों से है जिनमें स्वामित्व के पहलू होते हैं तथा ये विधि-मान्य हों, यह ज़रूरी नहीं; बल्कि ये रीति-रिवाजो, परम्पराओं और सामाजिक प्रथाओं के अनुरूप होते हैं| पूरक समझौते ने इन संस्थानों और प्रथाओं को ख़ास तौर पर गुलामी जैसा पहचाना है:

- **ऋण-बंधन:** (अनुच्छेद 1(A)) किसी ऋण की ज़मानत के रूप में यदि ऋणी अपनी व्यक्तिगत सेवाओं को अथवा उन व्यक्तियों की सेवाओं को गिरवी रखता है जो उसके नियंत्रण में हैं तो उन सेवाओं के मूल्य के ब्याजवी रूप से आकलन के बाद यदि उक्त रकम से ऋण समायोजित न किया जा रहा हो या उक्त सेवाओं की अवधि या स्वरुप समुचित रूप से सीमित या परिभाषित नहीं हों तो ऐसी स्थिति या दशा को ऋण बंधक कहते हैं| अन्य शब्दों में, ऋण-बंधक एक ऐसी स्थिति है जिसमें ऋणी अपना क़र्ज़ तो नहीं उतार सकता लेकिन ऋण चुकाने के एवज में अपनी सेवाएँ देता रहता है |

संकेत: बंधक ऋणी की पहचान ऋण-बंधन:

अवैध कारोबार के शिकार कई पीड़ितों का साझा अनुभव रहा है| ऋण बंधन की स्थिति उस ऋण की मौज़दगी से ही पहचानी जा सकती है जो अनिर्णीत है और चाहे कितना भी काम या सेवा दी जाय, उसे चुकाया नहीं जा सकता| न्याय क्षेत्र ऋण-बंधन को व्यापक रूप से एक ऐसी स्थिति के रूप में समझते हैं जहां शोषक शर्तों के साथ श्रम एवं सेवाएँ प्रदान करते हुए ऋण को चुकाना होता है|

14. गुलामी और गुलाम-व्यापार के उन्मूलन का समझौता 60 लीग ऑफ़ नेशंस सिरीज़ 253, 25 सितम्बर 1926 जो 9 मार्च 1927 से प्रभावे हुआ| (गुलामी समझौता)

15. उदाहरणार्थ, सरकारी वकील बनाम कुनारक, कोवाक एंड वुकोविक केस IT-96-23T तथा IT-96-23/1-T भूत-पूर्व युगोलाविया अपील चेम्बरके लिए गठित अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल, 12 जून 2002 देखें|

16. उदाहरण के लिए गुलामी के कानूनी मानकों के लिए बेल्लेगिओ हार्वर्ड गाइड लाइन्स, गुलामी के कानूनी मानकों के शोध का नेटवर्क 2012 देखें|

- **बंधुआ मजदूर** (अनुच्छेद I (बी)) जिस किरायेदार की स्थिति या स्तर ऐसा है कि कानूनन, रीति-रिवाज या करार के तहत वह अन्य व्यक्ति की ज़मीन में रहकर वहां अपनी पूर्व निर्धारित सेवाएं देने को विवश है, चाहे उसे मजदूरी मिले ना नहीं | उसे अपने स्तर को बदलने का भी हक़ नहीं है |

- **कोई भी संस्थान या प्रथा (अनुच्छेद 1(सी)) जिसके द्वारा:**
  (I) इनकार करने के अधिकार के बिना, जब किसी महिला के माता-पिता, अभिभावक, परिवार या अन्य व्यक्ति अथवा समूह को पैसे या वस्तु देकर उसको देने या उसके विवाह का वचन दिया गया हो, अथवा
  (II) उस महिला के पति, उसके परिवार, या कुल को कोई मूल्य-प्राप्ति या अन्यथा, उसे किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार हो; अथवा
  (iii) किसी महिला के पति के निधन के बाद उस पर किसी अन्य व्यक्ति का विरासती हक़ हो

संकेत: जबरन विवाह की पहचान

जब से गुलामी का पूरक समझौता प्रभावी हुआ है, जो केवल महिलाओं के जबरन विवाह को पहचानता है, यह स्वीकार किया गया है कि लड़के और पुरुषों के भी जबरन विवाह हो सकते हैं| इस तरह के सभी जबरन विवाहों को रोकने के लिए यह उचित समझा गया कि पीड़ितों के लिंग-भेद किये बिना सभी के लिए एक जैसा जबरन विवाह निरोधी विधेयक लाना सुनिश्चित किया जाय |

- शोषण के लिए बच्चों का विक्रय (अनुच्छेद 1(d))[17] जिसके तहत किसी बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी तीसरे पक्ष को बाल-मजदूरी द्वारा शोषण की अनुमति देते हैं| पूरक समझौते में किये गए उपबंधों की अपेक्षा मौजूदा लिखत अधिक व्यापक परिभाषा देते हैं| बाल श्रम के वीभत्स स्वरुप पर 1990 का ILO समझौता बच्चों के शोषण में इन सब का समावेश करता है- सशस्त्र युद्ध में बच्चों की जबरन या अनिवार्य भर्ती, अश्लीलता, अवैध कारोबार, यथा नशीली दवाओं का उत्पादन एवं तस्करी तथा वे सभी 'काम जो अपने स्वरुप से अथवा इसको किये जाने की परिस्थितियों से बच्चों की सेहत, सुरक्षा या आत्म-बल पर असर पड़ता है'| बाल-विक्रय, बाल-वैश्यावृत्ति, एवं बाल-अश्लीलता से संबंधित बाल-अधिकारों पर समझौते के वैकल्पिक प्रोटोकॉल, 2002 का अनुच्छेद 2 (ए) बाल-विक्रय की व्यापक परिभाषा इस प्रकार देता है: बाल-विक्रय से आशय ऐसा किसी भी कार्य अथवा लेन-देन से है, जिसमें एक बच्चा किसी व्यक्ति या समूह द्वारा दूसरे व्यक्ति या समूह को किसी पारितोषिक या लाभ के बदले हस्तांतरित किया जाता है |[18]

संकेत: शोषण के लिए बाल विक्रय की पहचान

चूंकि बच्चों या शिशुओं के विक्रय के बाद इनका शोषण अपेक्षित नहीं होता, अत:राज्यों को इस पहलू में गोद लेने तथा व्यावसायिक सर्जरी व्यवस्थाओं के लिए बाल- विक्रय को भी शामिल करने पर विचार करना होगा |[19]

17, 'दासता' के नाम से प्रचलित ये अवधारणाएँ अंतरराष्ट्रीय कानून में परिभाषित हैं और शोषण की स्थिति में ये उपयोगी हो सकती हैं.|

18. बाल विक्रय, बाल वैश्यावृत्ति, बाल-अश्लीलता ,से संबंधित बाल समझौते का वैकल्पिक प्रोटोकॉल 2171, संयुक्त राष्ट्र संघ समझौता श्रृखला 227 25 मई 2000 18 जनवरी 2002 से प्रभावी अनुच्छेद 2 (a)

19. इसके आलवा बाल-अधिकारों के समझौते पर ऐनी टी गल्लाघे, के 'आनुच्चेद 35' को भी देखें जो फिलिप अल्स्टों एवं जॉन टोबिन की टिप्पणियों 'में ओक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा 2015 के आगामी अंक में आ रहा है| नीचे 2.3 में जबरन / गैर कानूनी रूप से गोद लेने पर चर्चा को भी देखें|

अंगों की चोरी

दान-देनेवालों के शरीर में अंगों के प्रत्यारोपण संबंधी व्यवसाय तथा सांस्कृतिक एवं रस्मों-रिवाज़ की पृष्ठभूमि में शरीर के कुछ हिस्सों व अंगों को हटाने के उद्देश्य से व्यक्तियों का अवैध कारोबारर होने की आशंका बनी रहती है| कुछ राज्यों में व्यक्तियों के अवैध कारोबार विरोधी कानून केवल अंगों की चोरी तक ही सीमित नहीं है बल्कि शरीर के हिस्सों (सांस्कृतिक एवं रस्मों-रिवाज) तथा तंतुओं एवं तरल पदार्थों (व्यावसायी सर्जरी को पकड़ने हेतु) की चोरी भी इसमें शामिल हैं| इस तरह का शोषण केवल एक बार ही किया जा सकता है, जबकि अन्य प्रकारों में श्रम व सेवाओं के रूप में शोषण अनवरत जारी रहहैं | अतः अंगों की चोरी हेतु अवैध व्यापार की पहचान एक विचित्र चुनौती है | [20]

शोषण के अन्य प्रकार

राज्यों को, कम से कम, शोषण एवं इसके विभिन्न प्रकारों की समझ तो होनी ही चाहिए, जिनकी व्याख्या व्यक्तियों के अवैध कारोबार से संबंधित अनुच्छेद 3(ए) में सुस्पष्ट रूप से की गयी है| व्यावहारिक तौर पर, अन्य प्रकार के जो शोषण देखे गए हैं, उनमें शामिल हैं - जबरन भीख मंगवाने और आपराधिक कार्यों के लिए शोषण, जैसे- नशीली वनस्पतियों की खेती, नशीले पदार्थों को लाने-ले जाने वाले तस्कर का काम करवाना, नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों को रोकने व कानूनी कार्रवाई के जोखिम से कहीं अधिक, उनके जीवन एवं सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है नशीली वनस्पतियों की खेती और उनके शरीर के अंगों में नशीले पदार्थों को छुपाकर ले जाना| [21]

संकेत: विभिन्न प्रकार के शोषण के लिए विशेष संकेतक लगाएं

राज्य अपने प्राधिकारियों को अवैध कारोबार के काफी विस्तृत एवं विनिर्दिष्ट संकेतक उपलब्ध कराने पर विचार करें, जो प्रारंभिक उत्तरदायी व्यक्ति के लिए विभिन्न प्रकार के शोषण को समझने में सहायक हों| सहायता एवं संरक्षण दिए जाने के दौरान परिभाषाओं के अन्य तत्व साक्ष्य के रूप में स्वत:स्पष्ट हो जांयेंगे| अनुच्छेद 3.3 विनिर्दिष्ट और व्यापक संकेतक विकसित करने का आधार प्रदान करता है|

20.अंगों की चोरी हेतु अवैध कारोबार के बारे में अधिक जानकारी के लिए, उदाहरणार्थ WHO गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑन ह्यूमन सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन तथा इस्ताम्बुल घोषणा-पत्र, दोनों को देखें जो http://www.who.int/transplantation/en/ पर उपलब्ध हैं|

21. उक्त दोनों ही प्रकारों को यूरोपियन यूनियन ट्रैफिकिंग डायरेक्टिव 2011/36/EU में सुस्पष्ट रूप से पहचाना गया है; साथ-साथ जबरन भीख मंगवाने को जबरन श्रम या सेवा का ही एक प्रकार माना गया है, जिसकी परिभाषा ILO जबरन श्रम समझौते में दी गई है | आपराधिक क्रिया-कलापों हेतु शोषण में पॉकेटमारी, उठाईगिरी, नशीली दवाओं की तस्करी और अन्य इसी प्रकार के अपराध शामिल हैं, जिनसे वित्तीय लाभ होते हैं और जो दंडनीय हैं | मनुष्यों के अवैध व्यापार को रोकने एवं उसके निषेध से संबंधित यूरोपियन संसद के दिशानिदेश 2011/36/EU तथा कौंसिल ऑफ़ यूरोपियन यूनियन के दिशानिदेश दि. 5 अप्रैल, 2011 को देखें जो व्यक्तियों के अवैध कारोबार के शिकार को संरक्षण देने से संबंधित हैं | साथ ही, इसके बदले में निर्धारित कौंसिल फ्रेमवर्क निर्णय 2002/629/JHA, OJ L 101/1, 15 Apr. 2011 (यूरोपियन यूनियन व्यक्तियों के अवैध कारोबार से संबंधित दिशानिर्देश 2011/36/EU), अनुच्छेद 2(3).देखें|

अनुच्छेद 2:

उत्तरदायित्व, हित एवं चुनौतियाँ

2.1. पहचान महत्वपूर्ण क्यों हैं

अवैध कारोबार के शिकार की पहचान किये बिना, राज्य व्यक्तियों के अवैध कारोबार को रोकने, दोषियों पर मुक़दमा चलाने और पीड़ितों के संरक्षण से संबंधित प्रोटोकॉल के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पायेंगे | अतः अवैध कारोबार के विरुद्ध व्यापक नीति, कार्यक्रम एवं अन्य उपाय निर्धारित करते समय शिकार की पहचान पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जो प्रोटोकॉल में निर्धारित अनिवार्यताओं को पूरा कने की दृष्टि से अत्यावश्यक है |

'पहचान प्रक्रिया से व्यक्ति के शिकार होने का स्तर मालूम होता है और उसके बाद उसे तुरंत सहायता एवं संरक्षण देने का मार्ग प्रशस्त होता है, जैसे अन्य बातों के साथ-साथ दवाइयाँ एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, खाद्य एवं अन्य बुनियादी जारूरतों की पूर्ति, परामर्श सेवा और मनोवैज्ञानिक देख-भाल| कुछ राज्यों में, अवैध कारोबार के शिकार हुए लोगों के, शिकार के रूप में सत्यापन से, संबंधित व्यक्ति को अतिरिक्त लाभ एवं सेवाओं का हक़ मिलता है जैसे उसे अस्थायी / स्थायी निवासी का दर्जा प्राप्त होना | अवैध कारोबार के शिकार व्यक्ति की समुचित एवं शीघ्र पहचान न होने की परीणति उनकी और अधिक प्रताड़ना, शोषण तथा सहयोग एवं संरक्षण पाने के उनके अधिकारों से इनकार में हो सकती है | पहचान में जितनी अधिक देरी होगी, शिकार व्यक्ति को सामान्य स्थिति में लाने व पुनर्गठन में उतनी ही देर होगी | इसी कारण, शिकार व्यक्ति की पहचान संरक्षण संबंधी उपायों की प्राथमिक अपेक्षा है| [22]

अवैध कारोबार के शिकार व्यक्ति को संरक्षण देने के अलावा उसकी पहचान में राज्यों के कई और भी हित निहित हैं | शिकार व्यक्ति की पहचान अपराधों और आपराधिक नेटवर्क को पहचानने का महत्वपूर्ण साधन हैं| एक ओर जहाँ शिकार लोगों को पहचान कर उन्हें समुचित संरक्षण व सहयोग दिया जाता है वहां आपराधिक मामलों में वे प्रमुख साक्षी बनकर आपराधिक न्याय प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं| जहां अवैध कारोबारियों के शिकार लोगों की पहचान नहीं हो पाती, वहां आपराधिक नेटवर्क दंड के भय से मुक्त बना रहता है और महत्वपूर्ण साक्ष्य गायब हो सकते हैं| व्यक्तियों के अवैध कारोबार जैसे अंतर-राष्ट्रीय संगठित अपराध- अन्य अपराधों, जैसे ब्याज -बट्टा और भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक-आर्थिक प्रगति को अवरुद्ध करने वाले अपराधों को बढ़ावा देते हैं | जबरन मजदूरी को रोकने एवं इस पर यथोचित कार्रवाई करने में राज्यों के हित भी निहित हैं | जबरन मजदूरी से रोजगार के अवसर घटते हैं, मजदूरी कम होती है और देश के अन्य कामगारों की स्थिति कमज़ोर होती है | इस प्रकार, व्यक्तियों के अवैध कारोबार का दमन व्यक्तियों की सुरक्षा एवं संरक्षण ही नहीं, सामाजिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आवाश्यक है| [23]

तालिका 2: पीड़ितों की पहचान की उत्तरदायित्व, हित एवं संकेत

उत्तरदायित्व	हित	संकेत
रोकथाम	अवैध कारोबार के शिकारों लोगों की पहचान व्यक्तियों के अवैध कारोबार की रोकथाम एवं निवारण के लिए आवश्यक है|	शिकार हुए लोगों की पहचान को राष्ट्रीय कार्यनीति में शामिल करें, जिनमें अवैध कारोबार एवं अन्य प्रकार, यथा प्रवासियों की तस्करी और घरेलू हिंसा जैसे अपराध रोकने के उपाय शामिल हैं	
	व्यक्तियों के अवैध कारोबार के मूल कारणों तथा अवैध कारोबार के आशंकित शिकार व्यक्तियों व समूहों की पहचान, साक्ष्य पर आधारित रोकथाम के लिए अत्यावश्यक है|	अवैध कारोबार के मूल कारणों तथा इसके प्रति व्यक्तियों एवं समूहों की संवेदनशीलता पर संकेतक विकसित करें ताकि शोषण का चरण शुरू होने से पहले ही इस पर अंकुश लगाने में सुविधा हो सके|

22 अवैध व्यापार के पीड़ितों को संरक्षण देने संबंधी नीति निदेशिका , बाली प्रक्रिया 2015 देखें |

23. अवैध व्यापार के पीड़ितों को संरक्षण देने संबंधी नीति निदेशिका, अनुच्छेद 1.1 बाली प्रक्रिया 2015 देखें |

	संबंधित प्राधिकारियों द्वारा संग्रहीत आंकड़े व जानकारी तब पुख्ता हो जाती है जब शिकार के रूप में पहचाने गए विभिन्न व्यक्ति द्वारा, अवैध व्यापारियों का हुलिया और चरित्र, उनके साधन ऐवं तौर-तरीके,विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के आपसी एवं परस्पर संपर्क-सूत्र एवं रास्ते तथा उनकी धर-पकड़ के संभावित उपाय बताने से उसकी पुष्टि होती हैं|	पहचान प्रक्रिया के दौरान संग्रहीत आंकड़ों व जानकारी के आधार पर अवैध कारोबार के उन सुरागों का पता लगाएं जिनसे राज्य अनभिज्ञ है, राज्य के संबंधित कार्मिकों की क्षमता-निर्माण एवं प्रशिक्षण आवश्यकताओं का पता लगाएं तथा श्रम और आप्रवासन के क्षेत्र सहित बेहतर नीतियों का निर्माण करें |
जांच-पड़ताल और कानूनी कार्रवाई	व्यक्तियों के अवैध कारोबार की जांच-पड़ताल और कानूनी कार्रवाई के प्रयास तब पुख्ता हो जाते हैं जब व्यवसायी और आम आदमी अपराधों की पहचान में प्रभावपूर्ण तरीके से प्रशिक्षित हो जाँय एवं पीड़ितों से प्रासंगिक साक्ष्य एकत्र करें |	अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों, जैसे व्यवसायी और अभियोजकों के लिए शिकार लोगों की पहचान से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें अपराधों के मूलभूत तत्वों, जैसे साक्ष्य एकत्र करना, स्वीकार्यता, पहचान के मानक, तथा विशेष अपेक्षाओं में, सदमे से आहत शिकार/साक्षी, विभिन्न सांस्कृतिक एवं भाषाई पृष्ठभूमि वाले शिकार हुए लोगों एवं बाल पीड़ितों के साथ काम करने की समझ है |
	जांचकर्ता और अभियोजक व्यक्तियों के अवैध कारोबार, कारोबारी, तथा अपराधों और अपराधियों से संबंधित संभाव्यताओं के बारे में पहचाने गए शिकार हुए लोगों से अपेक्षित जानकारी एवं साक्ष्य प्राप्त करते हैं |	यह सुनिश्चित करते हुए शिकार हुए लोगों की तात्कालिक पहचान की प्रणाली विकसित करें कि देशी-विदेशी अवैध कारोबार की स्थितियों को परखने तथा सभी प्रकार के शोषण हेतु विभिन्न प्रकार से शिकार माने गए (स्त्री-पुरुष और बच्चे) को पहचानने के लिए कई संकेतक प्रयोग में लाये जा रहे हैं |
सहायता एवं संरक्षण	सहायता एवं संरक्षण सेवाएं प्रभावी रूप से प्रदान करने के लिए अवैध कारोबार के पीड़ितों की पहचान होना आवश्यक है |	यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहायता व संरक्षण देने हेतु शिकार माने गए लोगों को कोई अड़चन न हो,. उनके मामले विशिष्ट सहायता व समर्थन के लिए ज़िम्मेदार एजेंसियों को भेजे जाँय, जिसमें आप्रवासी प्रबंधन एजेंडा की पहचान प्रक्रिया को अलग करना भी शामिल है | यह सुनिश्चित करें कि पहचान की औपचारिक प्रक्रिया अवैध कारोबार के शिकार सभी लोगों पर सामान रूप से अपनाई जाती है , चाहे उनकी उम्र, सेक्स,लिंग, सेक्स उन्मुखता, राष्ट्रीयता, जातीय किंवा सामाजिक मूल या विकलांगता, अंतर्राष्ट्रीय क़ानून के अनुसार कुछ भी क्यों न हो |
	व्यक्तियों के अवैध कारोबार के शिकार जिन लोगों को समुचित सहायता व संरक्षण मिला है, वे अवैध कारोबारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई तथा उसकी रोकथाम से संबंधित आपराधिक न्याय प्रक्रिया में सहायता करने की दृष्टि से बेहतर हैं |	यह सुनिश्चित करें कि सेवा-प्रादायक पहले संपर्क में संरक्षण से लेकर आपराधिक न्याय प्रक्रिया के दौरान तथा उनको स्वदेश भेजने एवं पुनर्मिलन तक की अवधि में व्यापक रूप से सहयोग करते हैं| शिकार हुए लोगों को, सहायता एवं संरक्षण पाने से सम्बन्धित उनके अधिकारों के बारे में बताएं, साथ ही, अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के विरुद्ध आपराधिक न्याय प्रक्रिया के दौरान उनके सहयोग के विकल्प भी सूचित करें, साथ ही, उन्हें खुद निर्णय लेने का अधिकार दें| इस बात की भी गारंटी दें कि पहचान (एवं तद्जनित संरक्षण) देने के लिए प्राधिकारी केवल शिकार हुए लोगों के सहयोग पर ही आश्रित नहीं हैं |
सहयोग	शिकार हुए लोगों की पहचान में विभिन्न एजेन्सियों, यथा विभिन्न NGO व अन्य संबंधित कर्मियों का औपचारिक सहयोग, पहचान के तंत्र को मजबूती प्रदान करते है, साथ ही, इसकी रोकथाम, कानूनी कार्रवाई और संरक्षण उपायों को सुदृढ़ बनाता है|	यह सुनिश्चित करें कि पहचान-प्रणाली एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न एजेंसियों तथा राज्य के प्राधिकारियों, एवं विशिष्ट NGO सहित गैर-राजकीय कर्मियों का सामूहिक सहयोग भी लिया जा रहा है | अवैध कारोबार के रुझान व नित-नयी तकनीकों तथा पीड़ितों की पहचान के सर्वोत्तम उपायों के बारे में सूचनाओं का नियमित आदान-प्रदान सुनिश्चित करें |

2.2. अवैध कारोबार के शिकार की अपनी पहचान के प्रति उदासीनता के कारणों को समझना

अवैध कारोबार के शिकार लोग शायद ही खुद को शिकार मानते हैं| कई मामलों में तो, अवैध कारोबार के शिकार लोग अपने अवैध कारोबारी पर ही आश्रित हो जाते हैं और यह स्वीकार ही नहीं करते कि वे शिकार हैं| कुछ अन्य तो, अवैध कारोबारियों को अपना हितैषी समझते हैं जिन्होंने उनकी स्थिति को बेहतर बनाया है| यहाँ तक कि वे उनके रिश्तेदार भी हो सकते हैं| उदाहरणार्थ, जबरन विवाह के सन्दर्भ में या उन स्थितियों की पृष्ठभूमि में जब बच्चों को शोषण के लिए बेच दिया जाता है, अपराधी शिकार के माता-पिता या अन्य रिश्तेदार भी हो सकते हैं, जिसके कारण अवैध कारोबार के शिकार प्राधिकारियों के सामने आना नहीं चाहते| वैसे ही, अवैध कारोबार एवं शोषण के अन्य प्रकारों में भी यही सच सामने आता है, जहां अवैध कारोबारी और उसके शिकार के बीच रिश्तेदारी है| जिन मामलों में पहले से रिश्तेदारी नहीं है वहां भी पीड़ित अवैध कारोबारी से यह जाने बिना सम्बन्ध बना लेते हैं कि यह रिश्ता उन्हें नियंत्रित करने की एक चाल है.|

पहचान की अगली चुनौती माने हुए या वास्तविक रूप में उन प्रोत्साहनों का अभाव है जिनके कारण अवैध कारोबार बहुत से शिकारों को प्राधिकारियों के समक्ष अपनी पहचान देनी होती है | विशेषत: ऐसे मामलों में अवैध कारोबार से पीड़ित व्यक्ति किसी देश में अनियमित रूप से प्रवेश करते है और उन्हें डर रहता है कि अनियमित प्रवेश के कारण उन्हें वापस अपने देश में भेज दिया जाएगा| अवैध कारोबार के शिकार अन्य लोग अवैध कारोबारियों के नियंत्रण में बुरी तरह कष्ट उठाते हुए भी विभिन्न कारणों से शोषण एवं अत्याचार की स्थिति में बने रहना पसंद करते हैं | उदाहरणार्थ, अवैध कारोबारी या अन्यों के 'शिकार' के घनिष्ठ सम्बन्ध हों, जिसके कारण वह दयनीय स्थिति में बने रहने को मजबूर हो, या वे यह अनुभव करते हों कि उनके पास यही एकमात्र बेहतर विकल्प है| अवैध कारोबारी अपने शिकार पर नियंत्रण बनाये रखने के लिए बार-बार इस भय और भावनाओं का गलत लाभ उठाते हैं |

पहचान की तरकीबों का निर्धारण एवं क्रियान्वयन करते समय तत्संबंधित इन चुनौतियों को समझना एवं इनपर विचार करना चाहिए | प्रक्रिया के किसी भी चरण में, उस व्यक्ति को भी समुचित प्रक्रिया में शामिल करने की गुंजाइश बनाए रखनी चाहिए जो प्रारम्भिक चरण में अवैध कारोबार से पीड़ित के रूप में नहीं पहचाना गया था|

गिरफ्तारी और वापस भिजवाये जाने का डर

अवैध कारोबार के शिकार यदि गैर-राष्ट्रीय होंते हैं तो अवैध कारोबारी उन्हें प्राधिकारियों से सहायता न मांगने को प्रेरित करते हैं क्योंकि कि वे गिरफ्तार हो सकते हैं, वापस स्वदेश भेजे जा सकते हैं या अवैध कारोबार से संबंधित उनके आप्रवासी-स्तर या गैर-कानूनी क्रियाकलापों के कारण उनकी गिरफ्तारी हो सकती है| | अक्सर ऐसा नहीं होता और अवैध कारोबार के शिकार कुछ लोगों के मामले में यदि यह सच हो तो भी स्वदेश या समुदाय में उनकी वापसी से उनकी स्थिति बदलेगी नहीं| यदि किसी व्यक्ति को संवेदनशील बनाने वाली परिस्थितियां नहीं बदलतीं हैं तो उनके फिर से उसी स्थिति में जाने का खतरा बना रहता है| उन्हें काम पर रखनेवाले फिर भी मौजूद रह सकते हैं जिनके कारण उनके और उनके परिवारों की सुरक्षा चिंता का विषय बना रहेगा |

संकेत: गिरफ्तारी और स्वदेश वापसी की चिंता से डरे हुए अवैध कारोबार के शिकार लोगों को अपनी पहचान देने के लिए प्रोत्साहित करनां

अपनी गिरफ्तारी से भयभीत शिकार हुए लोगों को भय दूर करने के लिए समुचित उपाय किये जाने चाहिए ताकि अवैध कारोबारियों के झांसे में आकर, आव्रजन संबंधी जो अपराध वे कर चुके हैं, उससे आगे उनके अपराधीकरण को रोकना सुनिश्चित किया जा सके | स्वदेश वापस भेजे जाने के डर को दूर करने के लिए वीसा पाथवे जारी किये जाने चाहिए ताकि अवैध कारोबार के शिकार व्यक्ति सहायता एवं संरक्षण प्राप्त करने हेतु अपने गंतव्य देश में रह सकें

अवैध कारोबारियों से धमकी व बदले की कार्रवाई का डर

कुछ 'शिकार' व्यक्ति जब खुद को अवैध कारोबार से शिकार के रूप में पहचान करवाते हैं तो उन्हें अवैध कारोबारियों की धमकी और बदले की कार्रवाई से डर लगता है| अवैध कारोबारी प्राय: अपने शिकार और उनके परिवार-जनों को धमकाते हैं| घरेलू कानूनी प्रणाली ऐसे शिकार लोगों और उनके परिवार-जनों को बदले की कार्रवाई से संरक्षण देने में अक्षम है, अत: 'शिकार' खुलकर सामने नहीं आना चाहते| उनका डर तब और भी बढ़ जाता है जब उसके परिवार-जन दूसरे न्याय-क्षेत्र में होते हैं और उनको संरक्षण देने के लिए विभिन्न देशों के आपराधिक न्याय कर्मियों की ज़रुरत पड़ती है|

संकेत: शिकार हुए व्यक्ति को पहले खुद को और बाद में अपने परिवार-जनों को संरक्षण देते हुए खुल कर बाहर आने के लिए प्रोत्साहित करें

राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस उपाय करने होंगे कि 'शिकार हुए लोगों, उनके साक्षियों और परिवार-जनों को प्रभावी संरक्षण दिया गया है | यदि संरक्षण के लिए ज़रूरतमंद व्यक्ति अन्य राज्यों में हैं, तो संबंधित राज्य के आपराधिक न्याय से जुड़े कर्मियों से सहयोग लिया जाना चाहिए और यदि उचित समझें तो जो व्यक्ति नुकसान के जोखिम उठा रहे हैं उन्हें संरक्षण देने के लिए वीसा एवं आव्रजन के मार्ग प्रशस्त कराये जाने चाहिए |

शर्म का एहसास और सदमे से आहत होने का डर

अवैध कारोबार के शिकार हुए लोगों को, सहायता एवं संरक्षण कार्यक्रम में, जहाँ उनकी पहचान गोपनीयता और निजता की रक्षा नहीं होती, वहां उनको यह डर सताता है कि उनकी पहचान शर्म, सदमा और सामाजिक बहिष्कार का कारण बन सकती है उनको इस बात का डर बना रहता है कि यदि वे यह स्वीकार करेंगे कि वे अवैध कारोबारियों के शिकार बन चुके हैं तो उनका परिवार और समाज यह समझेंगे कि अंतत: वे अपने परिवार की देखभाल करने में असफल रहे हैं (खास तौर पर जब आप्रवासन के दौरान उनका शोषण किया गया) पुरुष पीड़ित खास तौर पर यह स्वीकारते नहीं हैं कि वे अपराधियों के शिकार बन चुके हैं या ठगे गए हैं |

संकेत: सदमें से बचने के लिए शिकार हुए लोगों को खुल कर सामने आने के लिए प्रोत्साहित करें

राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सहायता एवं संरक्षण कार्यक्रम अवैध कारोबार के शिकार लोगों को शर्म और सदमे के डर से मुक्ति दिलाने के लिए उनकी व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता बनाये रखेंगे और NGO के सहयोग से समाज
व अवैध कारोबार के शिकार हुए लोग संरक्षण नीति को विकसित करने के लिए इस आशंका को समझ कर कोई रास्ता निकालें|

अनुच्छेद 3:

‘शिकार’ को पहचानने की प्रक्रिया

3.1. अवैध कारोबार के शिकार हुए लोगों की पहचान कौन कर सकता है?

ऐसा बहुत हे कम होता है कि अवैध कारोबार की शिकार हुए लोगों की पहचान का तत्काल कोई निष्कर्ष निकलता हो; यह प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों से गुज़रती है :

1. प्रारम्भिक, जो यह बताती है कि संबंधित व्यक्ति अवैध कारोबार का शिकार हो सकता है| यह काम शिकार माने गए व्यक्ति के सम्पर्क में आनेवाला कोई भी व्यक्ति कर सकता है तथा समुचित प्राधिकारी के ध्यान में ला सकता है |
2. समुचित प्राधिकारी पर्याप्त संकेतों के आधार पर यह अनुमान लगाता है कि समन्धित व्यक्ति अवैध कारोबार का शिकार हो सकता है और उसे प्रारम्भिक सहायता एवं संरक्षण दिया जा सकता है |
3. समुचित प्राधिकारी यह सत्यापित करता है कि संबंधित व्यक्ति अवैध कारोबार का शिकार है | फलस्वरूप उस व्यक्ति को और अधिक व्यापक सहायता एवं संरक्षण सेवाएं प्रदान की जातीं हैं | इसके साथ-साथ कथित अवैध कारोबारी के विरुद्ध जांच-पड़ताल और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है|
4. अवैध कारोबारी को दोषी करार दिए जाने के बाद इस बात की पुष्टि हो जाती है कि निर्धारित व्यक्ति अवैध कारोबार का शिकार हुआ है| यह चरण कुछ ही न्याय-क्षेत्रों में लागू होता है और केवल इस आधार पर, कि व्यक्तियों के अवैध कारोबार के अपराध के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सफल नहीं हो सकती, यह नहीं कहा जा सकता कि संबंधित व्यक्ति अवैध कारोबार का शिकार नहीं हुआ है|

अवैध कारोबार के शिकार व्यक्ति की पहचान तब स्वयमेव हो जाती है जब खुद शिकार हुए व्यक्ति द्वारा, उसके परिवार या अन्य व्यक्ति द्वारा रिपोर्टिंग की प्रतिक्रिया में जांच-पड़ताल की जाती है| पुलिस या सीमा/श्रम अधिकारियों जैसे अन्य कर्मियों द्वारा की जाने वाली नेमी जांच-पड़ताल से भी शिकार हुए व्यक्ति की पहचान स्वयमेव हो जाती है| अवैध कारोबारियों के शिकार लोगों की शिकायत मिलने के बाद की जाने वाली विशेष जांच के बजाय नेमी कामकाज के दौरान होनेवाली स्वाभाविक जांच के और अधिक प्रयास वांछनीय हैं|

प्रारम्भिक जांच के चरण में रिश्तेदार, मित्र, प्रतिष्ठित लोग या समाज का कोई भी व्यक्ति शिकार हुए व्यक्ति की पहचान में योगदान कर सकता हैं| नागरिक समाज, संगठन, चिकित्सा व्यवसायी वर्कर्स-यूनियन तथा नियोजक एजेंसी जैसे गैर सरकारी कार्मिक भी सूचना के अमूल्य स्रोत हैं और अवैध कारोबारियों के संभावित शिकार लोगों को पहचानने और अवैध कारोबार के संभावित शिकारों के मामले समुचित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने में उल्लेखनीय योगदान कर सकते हैं|

फिर भी, पहचान की प्रारम्भिक ज़िम्मेदारी राज्यों की ही है| क़ानून प्रवर्तन प्राधिकारी (यथा, पुलिस, अभियोजक, न्याय अधिकारी, आव्रजन व् कस्टम अधिकारी तथा श्रमिक निरीक्षक) समाज सेवी,स्थानीय प्रशासक तथा दूतावास एवं वाणिज्य दूतावास भी अवैध कारोबार के पीड़ितों की पहचान में सहायक हो सकते हैं| [24]
कई राज्यों में अनुमान,सत्यापन और पुष्टीकरण के

संकेत: अवैध व्यापार के शिकार लोगों की पहचान में सुधार लाने के लिए लोगों में आम जागरूकता पैदा करें|
व्यक्तियों के अवैध कारोबार की परिस्थितियों के विरुद्ध आम जागरूकता पैदा करने के लिए राज्यों को विशेष अभियान छेड़ने होंगे व उनका समर्थन करना होगा| यदि अभियान लक्ष्य-समूह को यह बताये तो अच्छा होगा: (ए) व्यक्तियों का अवैध कारोबार क्या और कैसा होता है,(बी) कोई व्यक्ति क्या विनिर्दिष्ट कार्य कर सकता है , ख़ास तौर से, ‘हॉट लाइन’ पर जानकारी देने सहित समुचित प्राधिकारी को विस्तृत प्रति सूचना वह कैसे दे सकता है|

24. काउंसलर संबंधों पर वर्ष 1967 के विएना समझौते में शिकारग्रस्त लोगों के प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता राज्यों में अपने फ़र्ज़ पर तैनात काउंसलर अधिकारियों के अधिकारों और कर्तव्यों की रूपरेखा दी गई है जिनमें से कई अधिकार और कर्त्तव्य अवैध कारोबारियों के शिकार लोगों को सहायता देने के सन्दर्भ में बड़े ही प्रासांगिक हैं | दूतावासों और काउंसलर कर्मियों के लिए तैयार की गई पुस्तिका ‘मनुष्यों के अवैध कारोबार से पीड़ित लोगों को कैसे सहायता व संरक्षण दिया जाय’ काउंसलर स्टाफ के लिए बड़ी उपयोगी है क्योंकि, इसमें वीसा आवेदनों की प्रक्रिया के दौरान बरती जानेवाली सावधानियों के संकेतक दिए गए हैं| देखे: ‘द हैंडबुक फॉर डिप्लोमेटिक & काउंसलर पेरसोंनेल ऑन हाउ टू असिस्ट & प्रोटेक्ट विक्टिम्स ऑफ़ ह्यूमन ट्रैफिकिंग’, कौंसिल ऑफ़ बाल्टिक सी स्टेट्स सेक्रेटेरियट, 2011

सम्बन्ध में संबंधित प्राधिकारी द्वारा की जाने वाले अधिकृत प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए यह निर्धारित किया जाता है कि अवैध कारोबार का शिकार व्यक्ति किस स्तर का शिकार है और तदनुसार उसे सहायता एवं संरक्षण दिया जाता है | कुछ राज्यों में यह ज़िम्मेदारी क़ानून प्रवर्तन अधिकारियों को सौंपी जाती है तो अन्य राज्यों में यह काम समाज कल्याण के लिए ज़िम्मेदार सरकारी एजेंसियों को दिया जाता है |कुछ राज्यों में शिकार-पहचान की सरकारी प्रक्रिया विशिष्ट गैर-सरकारी कर्मियों को दी जाती है | अवैध कारोबार के शिकार हुए लोगों की पहचान में काउंसलर कार्मिक भी अपना योगदान कर सकते हैं|

संकेत: पहचान से जुड़े विभिन्न पणधारकों की क्षमता को सुदृढ़ करें

प्रभावी पहचान-प्रक्रिया में राज्य के प्राधिकरियों एवं अन्य संबंधित कर्मियों के व्यापक समूह के योगदान एवं जिम्मेदारियों का स्पष्टीकरण देनेवाले सुस्पष्ट दिशानिदेशों एवं परिचालन प्रक्रिया निर्धारित करें |

पहचान के प्रति राज्य का रवैया चाहे जैसा हो, संबंधित पणधारकों के लिए समुचित प्रशिक्षण अत्यावश्यक है ताकि वे शीघ्र ही प्रभावी तरीके से अवैध कारोबारियों के शिकार लोगों की पहचान कर सकें| [25] पहचान के मानक दिशानिदेश एवं प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि अवैध कारोबारियों के शिकार निर्धारित किये गए लोगों के आत्म-सम्मान और मानवाधिकारों का सम्मान एवं संरक्षण होता रहे| [26]

संकेत: अवैध कारोबारियों के संपर्क में आनेवाले संभावित कार्मिकों को पहचान-प्रशिक्षण दें

अवैध कारोबारियों के शिकार लोगों की पहचान हेतु प्रशिक्षण देते समय अग्रिम पंक्ति के अधिकारीयों को प्राथमिकता दिया जाना महत्वपूर्ण है | शिक्षकों, पत्रकारों, चिकित्सा व्यवसायियों निजी क्षेत्र के कर्मियों, समाज के अन्य उन सभी लोगों को उकत प्रशिक्षण देने पर विचार किया जाना चाहिए जो अवैध कारोबारियों के शिकार लोगों के संपर्क में आ सकते हैं, ताकि वे उनकी पहचान वाले संकेतकों को समझ सकें |

25 (E/2002/68/Add.1), मानवाधिकारों हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के उच्चायुक्त, दिशानिदेश 2 अवैध कारोबारियों तथा उनके शिकार लोगों की पहचान दिशानिदेश 2(3)

26. यह भी देखें - अवैध कारोबारियों के शिकार हुए लोगों के संरक्षण पर नीति-निदेशिका बाली प्रक्रिया 2015 धारा 3 ‘समन्वय एवं बहु पण धारक दृष्टिकोण’

3.2. बुनियादी प्रक्रियाएं

पहचान प्रक्रिया का हर चरण मुलाक़ात के प्रारम्भिक क्षण से लेकर साक्षात्कार होने तक, अवलोकन एवं बातचीत द्वारा लोगों की जांच-पड़ताल का अवसर प्रदान करता है| बुनियादी पहचान प्रक्रियाओं के हर चरण में व्यवसायियों को अवैध कारोबार के शिकार लोगों की सहायता एवं संरक्षण ज़रूरतों का ध्यान रखना होगा| [27] जहाँ संरक्षण की विशेष ज़रुरत का अनुभव किया जाय (उदाहरणार्थ, जहाँ अवैध कारोबार के शिकार बच्चे या शरणार्थी हों) वहां समुचित 'रेफरल' दिलाने के लिए राज्य अपनी पहचान प्रक्रिया को व्यापक संरक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत लाएँ|

प्रथम संपर्क	प्रथम साक्षात्कार	औपचारिक साक्षात्कार

A. प्रथम संपर्क बिंदु

पहले संपर्क बिंदु पर मुख्य रूप से यह विचारना होता है कि क्या कोई व्यक्ति अवैध कारोबार का शिकार हो सकता है, जिसे प्रारम्भिक सहायता एवं संरक्षण दिया जाना आवश्यक हो |

प्रारम्भिक जांच तब शुरू होती है जब अवैध कारोबार का निर्धारित 'शिकार' अवलोकन (व्यक्ति से बातचीत, उसका बर्ताव, हुलिया अथवा परिस्थितियां) तीसरे व्यक्ति के 'रेफरल' में दी गयी जानकारी या स्वत: पहचान के फलस्वरूप पहली बार संपर्क में आया | फिर भी, अवैध कारोबार के शिकार व्यक्ति ऊपर अनुच्छेद 2.2 में उल्लिखित कारणों से खुद की पहचान नहीं कराते |

पहले संपर्क बिंदु पर प्राम्भिक जांच, भाषा एवं सांस्कृतिक अडचनों तथा लिंग से जुड़े मामलों से पैदा हुई संप्रेषण चुनौतियों के कारण अवरुद्ध हो सकती है | ये अवरोध आंशिक रूप से यह सुनिश्चित करके दूर किये जा सकते हैं कि अवैध कारोबार के निर्धारित शिकार के संपर्क में आने वाले लोग, संबंधित भाषा, संस्कृति, या पृष्ठभूमि (लोगों के पास सहजता से पहुँचने) का ज्ञान होने के कारण, उनकी जांच का कौशल रखते हैं |

जहां सत्यापन से निष्कर्ष निकल नहीं सकता हो, वहां 'शिकार को सहायता एवं संरक्षण सेवाएं सुलभ कराने के लिए, यह मान लिया जाएगा कि वह अवैध कारोबार का शिकार है | जब कोई अवैध कारोबार का निर्धारित शिकार दिखता है तो उनपर खतरा मंडरा रहा होता है या उन्हें चिकित्सा या अन्य सहायता की तुरंत आवश्यकता हो सकती है | पहले संपर्क में उनकी तात्कालिक सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है | [28] निर्धारित शिकार को और अधिक क्षति से बचाने के लिए उन्हें सामाजिक, चिकित्सा संबंधी एवं मनोवैज्ञानिक देखभाल हेतु विशिष्ट सेवा प्रदायकों के पास तथा सुरक्षित आवासों में भेजा जाना चाहिए| उनकी निजता का संरक्षण अवश्य होना चाहिए तथा उनसे सहायता एवं संरक्षण सेवाएं पाने की सूचित सहमति ली जानी चाहिए | [29]

अवैध कारोबार के बाल-पीड़ितों की पहचान के सम्बन्ध में पहचान और विशिष्ट बल-सेवा प्रदायकों को तुरंत सूचित करने की प्रक्रिया लगातार चलाते रहना उपयोगी होगा| चूंकि बच्चे अपने आपको बच्चे के रूप में पहचान कराना पसंद नहीं करेंगे या अपनी उम्र गलत बताने की कोशिश करेंगे, सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि बाल-अधिकार समझौते के अनुसार उन्हें बच्चा ही मान लिया जाय | वैसे ही, यदि किसी बच्चे के अवैध कारोबार के शिकार होने की आशंका हो तो उसे अन्यथा निर्णय होने तक शिकार ही मान लिया जाय । [30]

27 नीची दी गई सूचना के अतिरिक्त, अवैध कारोबार के शिकार व्यक्ति के संरक्षण के बारे में और अधिक जानकारी पालिसी गाइड ऑन प्रोटेक्टिंग विक्टिम्स ऑफ़ ट्रैफिकिंग में दी गई है |

28. iom हैंडबुक ऑन डायरेक्ट असिस्टेंस for विक्टिम्स ऑफ़ ट्रैफिकिंग, iom. 2005 देखें

29 पालिसी गाइड ऑन प्रोटेक्टिंग विक्टिम्स ऑफ़ ट्रैफिकिंग 2015 देखें

30 लेजिस्लेटिव गाइड, ट्रैफिकिंग, पैराग्राफ 65, यूनिसेफ गाइडलाइन्स ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ़ चाइल्ड विक्टिम्स ऑफ़ ट्रैफिकिंग, एंड कमेंटरी टू द OHCHR प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइन्स ऑन हयूमन राइट्स एंड हयूमन ट्रैफिकिंग, , OHCHR, 2010, pp.162-164.

संकेत: अवैध कारोबार के शिकार बच्चों की पहचान को सुदृढ़ करें

निमंलिखित दोनों संभावनाओं के साथ अवैध कारोबार के बाल-पीड़ितों की पहचान करके उसकी जानकारी विशेष बाल-सेवा प्रदायक को देते रहने का क्रम लगातार चलते रहना चाहिए|

- अल्प संख्यक होने की धारणा
- पीड़ित का स्तर होने की धारणा

B. प्रारंभिक साक्षात्कार

प्रारम्भिक साक्षात्कार के दौरान ही प्राधिकारी यह सत्यापित कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति अवैध कारोबार का शिकार हो चुका है | प्रारम्भिक साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य ही शिकार हुए व्यक्ति के जोखिमों का आकलन तथा सहायता व संरक्षण की विशेष ज़रूरतों का निर्धारण करना है| प्रारम्भिक साक्षात्कार के चरण में, संबंधित व्यक्ति को साक्षात्कार के उद्देश्य, प्रक्रिया और परिणामों के बारे में बताया जाना चाहिए | संबंधित व्यक्ति को उसीकी भाषा में सुस्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए और जरूरी होने पर किसी अनुभवी दुभाषिये की सेवा ली जानी चाहिए |

साक्षात्कार लेनेवाले लोग सुप्रशिक्षित होने चाहिए ताकि माने गए शिकार के मन में विश्वास एवं घनिष्ठता बनी रहे और एक ऐसा वातावरण बने जिसमें शिकार हुआ व्यक्ति बड़े आत्म-विश्वास के साथ बातचीत कर सके :साक्षात्कार लेनेवाले आदर्श रूप से प्रशिक्षित होने चाहिए जो सदमे को परख सकें तथा और साक्षात्कार लेते समय सदमा पैदा होने का मौका न दें | सिविल सोसाइटी के कर्मी अवैध कारोबार के शिकार लोगों एवं प्राधिकारियों के साथ काम करके परस्पर विश्वास एवं घनिष्ठता कायम करने में अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं | प्रारम्भिक साक्षात्कार के दौरान समुचित मार्गदर्शन हेतु कुछ राज्य प्रश्नावली का प्रयोग करते है | [31]

- **भाषा के सम्बन्ध में:** साक्षात्कार लेनेवालों के सहायतार्थ दुभाषियों की सूची सुलभ कराई जायेगी, जो बहुत ही कम समय की सूचना पर भाषाई, जातीय एवं सांकृतिक विभिन्नताओं के परिप्रेक्ष्य में परस्पर विश्वास और घनिष्ठता कायम करते हुए अपना सहयोग देंगें | दुभाषिये निष्पक्ष होने चाहिए, उन्हें अपनी भूमिका, गोपनीयता एवं अन्य मामलों की की पूरी जानकारी होनी चाहिए, साथ ही, वे समुचित रूप से प्रशिक्षित होने चाहिए | माने गए शिकार लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि साक्षात्कार में दुभाषियों की क्या भूमिका होगी |

- **लिंग एवं उम्र के सम्बन्ध में:** आम तौर पर यह वांछनीय है कि लोगों का साक्षात्कार समलैंगिक व्यक्तियों द्वारा या समलैंगिकों की उपस्थिति में लिया जाना चाहिए | बच्चे (या वे जो बच्चे हो सकते हैं) यथोचित रूप से (उदाहरणार्थ, यदि वे साथ में हों) अभिभावक नियुक्त किये जाने चाहिए और उनका साक्षात्कार भी वे ही लें जो बच्चों के साथ काम करने के लिए प्रशिक्षित हैं |

- **संस्कृति के सम्बन्ध में:** साक्षात्कार लेनेवाले के लिए यह वांछनीय हो या नहीं भी हो सकता कि वह साक्षात्कार देनेवाले के समुदाय अथवा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का हो| हालांकि उसी समुदाय का होनेपर साक्षात्कार देनेवाले 'अवैध कारोबार के 'शिकार व्यक्ति' को सुविधा होती है लेकिन जिन मामलों का सीधा संबंध उसके समुदाय से हो या शोषण में समुदाय की सहमति हो, वहां उसी समुदाय के व्यक्ति द्वारा साक्षात्कार लिया जाना उसीके लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है |

किसी साक्षात्कार विशेष के लिए क्या उचित होगा, इसका निर्णय साक्षात्कार देनेवाले के परामर्श से, उसकी पसंदगी के अनुसार तथा इन पसंदगियों को यथासंभव एवं समुचित रूपसे समावेश करके किया जाता है

31. उदाहरणार्थ, 'रीजनल गाइडलाइन्स फॉर द प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरल मेकेनिज़म फॉर पोपुसेशंस इन वल्नरेबल सिचुएशन' (प्रस्तोता कोस्टारिका तथा अल सल्वाडोर गुटेमाला, होंडुरस और निकारागुआ द्वारा संयुक्त रूप से IOM एवं UNHCR के सहयोग से तैयार किया गया, जो रीजनल कंसल्टेशन ग्रुप (RCGM) को जून 2012 में आव्रजन पर क्षेत्रीय सम्मलेन में प्रस्तुत किया गया)| के पएज 11 पर

संकेत: अवैध कारोबार के शिकार के प्रति संवेदनशील साक्षात्कार तकनीक के उपयोग का समर्थन करें

यह सुनिश्चित करें कि साक्षात्कार लेनेवाले व्यक्ति को भाषा ,लिंग, उम्र, एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों की समुचित जानकारी है | जहाँ तक संभव हो, साक्षात्कार देनेवाले व्यक्ति से उसकी पसंदगी के बारे में पूछा जाना चाहिए और तदनुसार समुचित कार्रवाई की जानी चाहिए |

प्राम्भिक साक्षात्कार लेते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, चाहे संबंधित व्यक्ति का स्तर एवं चरित्र कैसा भी क्यों ना हो| उदाहरणार्थ, पहचान प्रक्रिया के लिए यह उपयोगी होगा कि अवैध कारोबार के शिकार लोगों को यदि शरण देना ज़रूरी हो तो शरण लेने संबंधी उनके दावों को स्वीकारने एवं उन पर विचार करने की प्रक्रिया का समावेश किया जाय |[32] शरण देनेवाले प्राधिकारियों (जिन देशों में राष्ट्रीय शरणार्थी प्रणाली ना हो वहां UNHCR) को अवैध कारोबार के शिकार उन लोगों के शरणार्थी-स्तर का निर्धारण करना होगा जो पहचान प्रक्रिया के दौरान यह संकेत देते हैं कि उन्हें अपने मूल वतन में कानूनी कार्रवाई अथवा गंभीर क्षति पहुंचाए जाने का खतरा है | उसी प्रकार अवैध कारोबार विरोधी प्राधिकारियों को शरण मांगने वालों एवं उन शरणार्थियों की जांच करनी होगी जो अवैध कारोबारियों के शिकार होने के संकेत दे रहे हैं| अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण में शरणार्थी के रूप में अपना 'रेफरल' भिजवाने के इच्छुक और अवैध कारोबारियों के शिकार माने गए शरण माँगनेवाले और शरणार्थियों के 'रेफ़रल' समुचित प्राधिकारियों के पास भिजवाये जाने के सन्दर्भ में समुचित 'रेफरल' तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए | दोनों ही परिस्थितियों में, प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शरण माँगनेवाले व्यक्ति के देश से किसी भी प्रकार का समझौता होने के बावजूद उसको अपने मूल वतन से कोई खतरा नहीं है

संकेत: यह सुनिश्चित करें कि पहचान प्रक्रिया में शरण मांगनेवालों को समुचित 'रेफरल' देने की व्यवस्था है

शरण के लिए इच्छुक व्यक्ति अथवा संभावित शरणार्थी की पहचान के लिए राज्यों को उसके मूल वतन के राजनायिक प्रतिनिधियों से संपर्क नहीं करना चाहिए |

C. औपचारिक साक्षात्कार

औपचारिक साक्षात्कार पहचानी गई विशेष ज़रूरतों के आधार पर दी जाने वाली सहायता एवं संरक्षण सेवा को निखारने का अवसर देता है| औपचारिक साक्षात्कार के दौरान, अवैध कारोबार के शिकार व्यक्ति को उसकी पीड़ा के बीते हुए क्षणों को याद कराना है, जो प्राधिकारियों को साक्ष्य जुटाने का सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है |[33] अवैध कारोबार के शिकार व्यक्ति या माने गए शिकार की दशा एवं ज़रूरतों के आधार पर पुनरावलोकन अवधि शुरू होने के पहले या बाद में औपचारिक साक्षात्कार तब हो सकता है, जब प्रारम्भिक सहायता एवं संरक्षण प्राप्त होने के बाद संभावित शिकार सहजता से अपनी बात कह सकता हो |

32. व्यक्तियों के अवैध कारोबार के प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 14 देखें, साथ ही, मानवाधिकार एवं व्यक्तियों के अवैध कारोबार पर संस्तुत सिद्धांत एवं दिशानिदेश (E2002/68/Add.1) संयुक्त राष्ट्र संघ, मानवाधिकार उच्चायुक्त, दिशानिदेश 2(7)

33.पुनरावलोकन अवधि के बारे में अधिक जानकारी के लिए, अवैध कारोबारियों के शिकार से संबंधित नीति-निदेश, बाली प्रक्रिया 2015 देखें

सहायता एवं संरक्षण सेवाएं सुलभ कराये जाने के बाद के अगले साक्षात्कार जांच-पड़ताल या कानूनी कार्रवाई के लिए हो सकते हैं | इस बात की पुष्टि करने के लिए सूचना एकत्र की जा सकती है कि कोई व्यक्ति अवैध कारोबार का शिकार है भी या नहीं | लोगों को अपने साक्षात्कार की दृश्य अथवा श्रव्य रिकॉर्डिंग की सहमति देनी होगी; साथ ही, साक्षात्कार के उद्देश्य व परिणाम भी समझाने होंगे | [34] साक्षात्कार, के साथ-साथ तत्संबंधित प्रतिलेख या रिकॉर्डिंग साक्षात्कार देनेवाले के हित-रक्षण के लिए निजी व गोपनीय रखी जानी चाहिए| साक्षात्कार लेनेवालों को ख़ास तौर पर इस बात का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि पीड़ित का बयान क्यों बदल सकता है, साथ ही, उसे सदमे से आहत विभिन्न उम्र के लोगों, भाषा बोलनेवालों व संस्कृतियों से जुड़े लोगों के साथ काम करने का अनुभव होना चाहिए | [35]

प्रक्रिया के इस चरण में अवैध कारोबार के शिकार व्यक्ति का बयान मिल सकता है | तत्संबंधित तथ्यों की पहचान अथवा शिकार के बयान की पुष्टि करने वाली जानकारी पाने के लिए इस चरण में अन्य साक्ष्य भी जुटाए जाने चाहिए | साक्षात्कार से प्राप्त जानकारी के आधार पर किसी व्यक्ति की मौजूदा संरक्षण योजना में फेर-बदल भी करना पड़ सकता है | विशिष्ट सेवा-प्रदायकों को 'रेफरल' भी भिजवाने पड़ सकते हैं |

जैसी कि ऊपर अनुच्छेद 2.2 में चर्चा की जा चुकी है, अवैध कारोबार का शिकार व्यक्ति संबंधित प्राधिकारियों पर यकीन करने में उदासीन भी हो सकते हैं | उनसे साक्षात्कार लेना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, अतः इसमें संवेदनशीलता और धैर्य होना चाहिए ताकि ऐसे व्यक्तियों को और अधिक भावनात्मक तनाव और चिंता से बचाया जा सके | साक्षात्कार लेनेवालों को भरोसा और विश्वास पैदा करने पर जोर देना चाहिए | जहाँ कहीं संभव हो, सूचित निर्णय लेते समय साक्षात्कार लेनेवाले, अवैध कारोबार के शिकार लोगों को उनकी आप-बीती याद न करवाएं, जिनसे कि वे सदमें में आ जाएँ, उन्हें शर्म या / तथा दुर्बलता महसूस हो या उनका मनोबल टूट जाय | ऐसा करने से उनको और भी नुकसान पहुंचेगा, साक्ष्य जुटाने में रुकावट आयेगी तथा आपराधिक न्याय प्रक्रिया में अनवरत सहयोग लेने में अवैध कारोबार के शिकार लोगों को बाधा पहुंचेगी |

3.3. अवैध कारोबार के संकेतक

कई राज्यों में अवैध कारोबार की संभावित स्थिति को पहचानने के लिए संकेतकों के मानक 'सेटो' का उपयोग हो रहा है | ऐसे संकेतक विशिष्ट राज्यों के पण धारकों (जैसे, पुलिस, आव्रजन एवं कस्टम अधिकारी) के प्रशिक्षण एवं उनकी

क्षमता बढ़ने के उपयोगी उपकरण हो सकते हैं और अवैध कारोबार की आशंकित स्थिति के विशेष पहलू से संबंधित हो सकते हैं (जैसे, अवैध कारोबार के शिकार किसी व्यक्ति से अपनी इच्छानुसार काम करवाने के लिए अपनाए गए साधन) या किसी विशेष प्रकार का शोषण (जैसे जबरन मजदूरी करवाना) व्यवहार में, एक बार उनका शोषण हो जाने के बाद, अवैध कारोबार के शिकार अधिकांश व्यक्तियों की पहचान हेतु शोषण संबंधी संकेतक अधिक विश्वसनीय होते हैं |

संकेत: संकेतकों के मूल्यांकन पर विचार करें

पहचान के लिए ज़िम्मेदार लोगों के सहायतार्थ, राज्यों को अपने सकेतकों का मूल्यांकन करते रहना चाहिए ताकि कुछ सूचनाओं को प्राथमिकता दी जा सके | ILO और यूरोपियन कमीशन द्वारा अपनाए गए रुख के अनुसार प्रत्येक संकेतं मज़बूत, माध्यम और कमज़ोर होता है, साथ ही, कोई संकेतक किसी बच्चे के लिए मज़बूत, वयस्क के लिए माध्यम अथवा यौन शोषण के लिए मज़बूत और श्रामिक शोषण के लिए कमज़ोर हो सकता है |

34.आम तौर पर बच्चे कानूनी सहमति नहीं दे सकते है| किसी बच्चे से साक्षात्कार लेने की कार्यवाही शुरू करने से पहले माता-पिताओं या अभिभावकों की सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया का पता लगा लें.|

35. आपराधिक न्याय संबंधी वकीलों के लिए अवैध कारोबार विरोधी मैन्युअल का module 8 देखें -'इंटरव्यूइंग विक्टिम्स ऑफ़ ट्रैफिकिंग हूँ आर पोटेंशियल विटनेसेस, UNODC, 2009.

फिर भी, संकेतकों की अन्तर्निहित सीमाओं का सदैव ध्यान रखा जाना चाहिए | विभिन्न प्रकार के लोगों का जो अवैध कारोबार होता रहा है, और, जिन सन्दर्भों में उनका शोषण होता रहा है, उनके मद्देनज़र अवैध कारोबार की ओर इशारा कारनेवाले कुछ संकेतक, अन्यों की अपेक्षा हमेशा से ही अधिक मज़बूत रहे है | अन्य शब्दों में, अवैध कारोबार के एक मामले में जो संकेतक अनिवार्य होता है, वही दूसरे मामले में बिलकुल ही नदारद या असंगत हो सकता है| जैसे बिना पासपोर्ट के सीमा पार कराये गए बच्चे के बजाय सीमित वेतन पर प्रतिदिन अत्यधिक घंटों तक सशस्त्र गार्ड के अधीन काम करनेवाला व्यक्ति अवैध कारोबार का अधिक मज़बूत संकेतक है | कुछ संकेतक अन्य प्रकार के अपराध या परिदृश्य की ओर भी इशारा कर सकते है और किसी संकेतक की उपस्थिति या अनुपस्थिति से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि मनुष्यों का अवैध कारोबार हो रहा है या नहीं | [36]

एक अन्य सीमा यह है कि अवैध कारोबारी संकेतकों को अंगीकार करके तदनुसार काम करते हैं, जैसे पीड़ितों को यात्रा व पहचान प्रपत्र देना, ताकि प्राधिकारियों को संदेह न हो| इन सीमाओं के परिप्रेक्ष्य में किसी एक प्रकार के संकेतक पर निर्भर रहने की अपेक्षा विभिन्न प्रकार के संकेतकों का सामूहिक उपयोग और अधिक सूक्ष्म-दृष्टि दे सकता है | इसके अलावा संकेतक अवैध कारोबार के प्रमाण नहीं हैं, किन्तु शिकार को सहायता एवं संरक्षण देने हेतु पूर्वानुमान लगाने के पक्ष में उपयोगी हो सकता है |

संकेत: सन्दर्भ के अनुसार निर्धारित संकेतक

संकेतक सूची तब बहुत प्राभावपूर्ण होती है जब प्राधिकारी उसे अपने काम के दौरान आयी विशेष परिस्थिति के अनुरूप अंगीकार कर लेते हैं | राज्य इस सूची को नियमित रूप से अद्यतन रखने का आदर्श उपस्थित करें ताकि अवैध कारोबार के बदलते हुए रुझान के अनुरूप इस सूची की सुसंगति को सुनिश्चित किया जा सके |

शोषण के प्रमुख आम संकेतक

निम्नलिखित संकेतक किसी भी प्रकार के शोषण पर लागू होते हैं | कुछ संकेतक शोषण के चिन्ह बतलायेंगे तथा अन्य संकेतक अवैध कारोबारियों के आशंकित शिकार पर संभावित नियंत्रण के चिन्ह बताएँगे |

- स्थिति में जाने / बने रहने के लिए व्यक्ति पर दबाव डाला गया / उसे बाध्य किया गया
- परिस्थिति के स्वरुप / स्थान पर व्यक्ति को धोखे में रखा गया
- व्यक्ति के काम करने के दिन / घंटे अत्यधिक हैं
- व्यक्ति के काम करने या रहने की परिस्थितियां अमानवीय तथा /और स्तरहीन हैं
- व्यक्ति दूसरों के नियंत्रण में / दूसरों पर अत्यधिक रूपसे निर्भर है
- व्यक्ति को धमकी मिलती रहती है या उसके खिलाफ हिंसा होती रहती है
- व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में है जो उसकी उम्र में लिए उपुक्त नहीं है

विशेष प्रकार के शोषण के मुख्य संकेतक

निम्नलिखित संकेतक शोषण के विशेष स्वरुप से संबंधित हैं, जिनको व्यक्तियों के अवैध कारोबार के प्रोटोकॉल में सूचीबद्ध किया गया है | हालांकि प्रोटोकॉल में उल्लिखित विभिन्न प्रकार के शोषण की सूची अपूर्ण है, फिर भी व्यवहार में अक्सर जिस प्राकार के शोषण को देखा गया है, वे निम्नानुसार हैं :

36 एंटी हयूमन ट्रैफिकिंग मैन्युअल फॉर क्रिमिनल जस्टिस प्रेक्टिशनर्स, UNODC/UN.GIFT, 2009, module 2 देखें और नेशनल रेफरल मैकेनिज्म, ए प्रैक्टिकल हैंडबुक OSCE, 2004 P भी देखें |

अन्यों के साथ वैश्यावृत्ति करके शोषण तथा यौन शोषण के अन्य स्वरुप

जैसा कि (अनुच्छेद 1,1 की) तालिका 1 में बताया गया है, यौन उद्योग में काम करने वाला हर व्यक्ति अवैध कारोबार का शिकार नहीं होता | निम्नलिखित संकेतक उन लोगों की पहचान करने में सहायक हो सकते हैं जो अवैध कारोबार के शिकार माने गए हैं :

- व्यक्ति अपने ग्राहक को सेवा देने, विशेष प्रकार के यौन कार्य को करने या असुरक्षित यौन सम्बन्ध बनाने से इनकार नहीं कर सकता |
- व्यक्ति सीधे अपने ग्राहक से पैसे नहीं ले सकता / ग्राहक द्वारा द्वारा उसके नियोजक / बिचौलिए को चुकाए गयी फीस की रकम का बहुत मामूली हिस्सा उसे मिलता है |
- किसी ख़ास तरह के गर्भ- निरोधक का उपयोग करने या न करने के लिए व्यक्ति को बाध्य किया जाता है / उस के साथ जोर-जबरदस्ती की जाती है |
- चिकित्सा लेने / गर्भाधान की जांच के लिए व्यक्ति को बाध्य किया जाता है / जोर-जबरदस्ती की जाती है |
- व्यक्ति नाबालिग है

शरीर के अंगों की चोरी के लिए अवैध कारोबार

निम्नलिखित संकेतक प्राथमिक तौर पर उन परिस्थितियों की ओर इंगित करते हैं जिनमे किसी व्यक्ति के अंगों को चिकित्सा के सन्दर्भ में प्रत्यारोपण के लिए चुराया जाना है या चुरा लिए गए हैं | सांस्कृतिक या रस्मों-रिवाज निभाने के लिए अंगों को निकाला जाना उतना प्रासंगिक नहीं होता:

- व्यक्ति को अपने अंग निकालने की सहमति देने के लिए बाध्य किया जाता है / जोर-ज़बरदस्ती की जाती है
- तत्संबंधित प्रक्रिया अथवा देय मुआवज़े के बारे में व्यक्ति को धोखा दिया जाता है
- व्यक्ति नहीं जानता कि अंग प्रत्यारोपण की प्रक्रिया कहाँ और कब की जानी है
- व्यक्ति नहीं समझता कि अंग-प्रत्यारोपण प्रक्रिया और तत्संबंधित जोखिम क्या हैं
- तीसरे पक्ष के प्राप्तकर्ता होने का अंदेशा बना रहता है
- ऐसे संकेत मिलते हैं कि तत्संबंधित रकम का आशंकित प्राप्त-कर्ता अपने शिकार के साथ विदेश जाना चाहता है

घरेलू दास बनाने के लिए अवैध कारोबार

- व्यक्ति को खराब गुणवत्ता / हलके स्तर का खाना दिया जाता है और उसमें कुपोषण के लक्षण दिखते हैं |
- व्यक्ति अत्यधिक घंटों तक काम करता है |
- व्यक्ति के खुद को रहने की कोई अपनी जगह नहीं या दी गई जगह अपर्याप्त है
- व्यक्ति घर की अन्दर कैद रखा गया है या उसे किसी से मिलने-जुलने नहीं दिया जाता और / या अपने मालिक के साथ ही बाहर निकल सकता है |
- व्यक्ति अपमानित किया जाता है, उसके साथ गाली-गलौज व मार-पीट की जाती है, धमकाया जाता है या अन्य प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है
- व्यक्ति भर्ती शुल्क देता है
- व्यक्ति नाबालिग है

अल्पायु में दास-दासी बनाने या जबरन विवाह के लिए अवैध कारोबार

- विवाह करवाने के लिए तीसरे पक्ष को दिये गए नकदी या अन्य 'उपहार'
- विवाहित जोड़े को छोड़कर, और / या उनकी सहभागिता या सहमति के बिना अन्य लोगों द्वारा किया गया विवाह-करार
- व्यक्ति से जबरन श्रम, गुलामी कराना या उसका यौन शोषण
- व्यक्ति का कौमार्य परीक्षण किया जाना / गया हो
- व्यक्ति के रिश्तेदारों का जबरन विवाह हुआ हो
- व्यक्ति में अवसाद, खुद को क्षति पहुंचाने की प्रवृत्ति , सामाजिक एकाकीपन और प्रताड़ना के लक्षण नज़र आते हों
- पारिवारिक विवाद, हिंसा या प्रताड़ना के लक्षण दीखते हों
- व्यक्ति नाबालिग हो

भीख मंगवाने और आपराधिक गतिविधियों में शोषण हेतु अवैध कारोबार

- यदि व्यक्ति पर्याप्त संग्रह / चोरी नहीं करता तो उसे दंड दिया जाता है
- व्यक्ति उसी प्रकार के काम करने वाले अन्य लोगों के बीच रहता हैं
- व्यक्ति अपने क्रियाकलापों का उद्देश्य एवं अवैधता को नहीं समझता
- व्यक्ति नाबालिग, बुज़ुर्ग अथवा विकलांग हैं"

उपरोल्लिखित संकेतक विशेष प्रकार के शोषण से संबंधित हैं इनके अतिरिक्त, जो संकेतक सभी प्रकार के शोषण के मामलों में लागू होते हैं वे निम्नानुसार हैं:

अवैध कारोबार के शिकार व आपराधिक क्रियाकलापों में शोषितों की पहचान में आनेवाली चुनौतिया

आपराधिक क्रियाकलापों में शोषित लोगों को अवैध कारोबार के शिकार मानने के बजाय उन्हें अपराधी मान लिया जाता है| इस जोखिम को घटाने के लिए प्राधिकारियों को उन 'साधनों' के प्रयोग का प्रशिक्षण लेना होगा, जो अवैध कारोबारी किसी व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए अपनाते हुए उन्हें शोषण की स्थिति में ले आते हैं तथा शोषण में उसकी सहमति निरर्थक बना देते हैं |

आशंकित अवैध कारोबारी द्वारा 'साधनों' का उपयोग

व्यक्तियों के अवैध कारोबार प्रोटोकोल में उल्लिखित 'साधन' अवैध कारोबार के संकेतक हैं| हालांकि बच्चों के मामलों में, उकत प्रोटोकॉल में वर्णित 'साधन' का उपयोग अवैध कारोबार का अपेक्षित तत्व नहीं है, फिर भी उनका उपयोग अवैध कारोबार एवं तत्संबंधित शोषण का द्योतक है| शोषण के दौर में 'शिकार' को नियंत्रित करके और किसी भी प्रकार से उसका शोषण करते हुए अवैध कारोबार की प्राक्रिया के किसी भी चरण, जैसे व्यक्ति को रोजगार देने, लाने-लेजाने, हस्तांतरण, शरण देने या प्राप्त करने में 'साधनों' का उपयोग हो सकता है| हालांकि कुछ 'साधनों' के उपयोग की पहचान अपेक्षाकृत सहज है (जैसे बल-प्रयोग) किन्तु कभी-कभी ये 'साधन' सूक्ष्म होने के कारण उनका निर्धारण कठिन हो जाता है | (सत्ता का दुरुपयोग या पद की संवेदनशीलता)

अवैध कारोबार संबंधी अपराध के पुष्टि में सहायतार्थ, निम्नलिखित अपूर्ण सूची में, अवैध कारोबार के संभावित संकेत दिए गये हैं:

धमकियाँ

- व्यक्ति (उसके परिवार, इष्ट-मित्रों, समुदाय) को धमकाया गया हो
- व्यक्ति (उसके परिवार, इष्ट-मित्रों, समुदाय) के विरुद्ध बल-प्रयोग की आशंका हो
- व्यक्ति आजीविका या कामकाज की गिरती हुई दशा से त्रस्त हो
- व्यक्ति को यह आशंका हो कि उसे प्राधिकारी के पास भेज दिया जाएगा
- व्यक्ति के विरुद्ध बल-प्रयोग की आशंका हो

बल प्रयोग

- व्यक्ति पर शारीरिक चोट पहुंचाए जाने के निशाँन हों
- व्यक्ति में मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक आघात पहुचाये जाने के लक्षण हों
- व्यक्ति में यौन प्रताड़ना के लक्षण हों

जबरदस्ती

- व्यक्ति को पारिवारिक या आर्थिक समस्याएं हैं
- प्राधिकारियों को मालूम है कि व्यक्ति का आपराधिक इतिहास रहा है या नहीं
- व्यक्ति का आव्रजन स्तर अनियमित है तथा / या दस्तावेजीकृत नहीं है
- व्यक्ति के दस्तावेज, पैसे एवं अन्य सामान जब्त किया जा चुका है
- व्यक्ति किसी भेदभावपूर्ण ऋण करार में फंसा है
- व्यक्ति अकेला पड़ चुका है, नज़रबंद है, तथा / या निगरानी या पर्यवीक्षण में है
- व्यक्ति की सांस्कृतिक अथवा धार्मिक आस्थाओं के साथ छलावा हुआ है

अपहरण

निम्नलिखित से संबंधित धोखाधड़ी / छल-कपट (गलत, अपर्याप्त, अपूर्ण या भ्रामक जानकारी):

- व्यक्ति के आव्रजन की प्रक्रिया या आसार (गंतव्य सहित)
- व्यक्ति की यात्रा एवं भर्ती की परिस्थितियां
- व्यक्ति के रोजगार की स्थितियाँ, रोजगार का स्वरुप ,वेतन, मजदूरी, आय,कमाई सहित
- शैक्षणिक अवसरों तक व्यक्ति की पहुँच
- व्यक्ति की आवासीय तथा स्थानीय या रहन-सहन की स्थितियां
- व्यक्ति के दस्तावेजों की वैधता, आव्रजन स्तर, काम या संविदा
- क़ानून, व्यक्ति के प्रति प्राधिकारियों का रुख या आचरण
- व्यक्ति के पारिवारिक पुनर्मिलन, विवाह या गोद लेने के आसार

निम्नानुसार तरीके से सत्ता का या स्थिति की संवेदनशीलता [37] का दुरुपयोग:

- शोषक / नियोजक / परिवार-जन से व्यक्ति का सम्बन्ध या उसकी आर्थिक, मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक निर्भरता
- शोषक, नियोजक,परिवार-जन या अन्य के साथ व्यक्ति का रोमानी या भावनात्मक लगाव
- व्यक्ति का आव्रजन दस्तावेजीकरण तथा /या स्तर
- व्यक्ति का सामाजिक, सांस्कृतिक या भाषाई एकाकीपन
- व्यक्ति की बे-रोजगारी या आर्थिक विपन्नता
- व्यक्ति की मानसिक एवं शारीरिक विकलांगता
- व्यक्ति की उम्र (युवा या बुज़ुर्ग) योनि, लिंग, योनि-उन्मुखता, राष्ट्रीयता, जातीय किंवा सामाजिक मौलिकता और विकलांगता
- व्यक्ति की सांस्कृतिक या धार्मिक आस्थाएं, रीति-रिवाज या प्रथाएँ
- नशीली दवाओं या शराब पर व्यक्ति की निर्भरता या लत

संबंधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने हेतु उसपर नियंत्रण रखनेवाले अन्य व्यक्ति को रुपये-पैसों या लाभों का आदान-प्रदान:

- तीसरे व्यक्ति को फीस, दहेज़ देने या उपहारों के आदान-प्रदान के द्वारा शोषित व्यक्ति ऐसी स्थिति में फँस चुका है|
- नशीली दवाओं या शराब पर व्यक्ति की निर्भरता या लत

37.संवेदनशीलता की स्थिति तथा अन्य 'साधन' के दुरूपयोग को मनुष्यों के अवैध कारोबार की परिभाषा,UNODC 2012 में तथा 'अवैध कारोबार के एक साधन के रूप में स्थिति का दुरूपयोग' पर नीति निदेशक टिप्पणी को प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट, सप्रेस एंड पनिश ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स , स्पेशिअली विमन एंड चिल्ड्रेन के अनुच्छेद में देखें -जो अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के समझौते UNODC 2012 का स्थान ले चुका है |

अवैध कारोबार के माने गए शिकार के विदेश में यात्रा, प्रवेश या निवास का तौर-तरीका

किसी व्यक्ति के अवैध अंतर्राष्ट्रीय कारोबार का आशंकित शिकार होने की स्थिति में यह देखा जाता है कि वह विदेश में कैसे यात्रा, प्रवेश और निवास करता है | इससे अवैध कारोबार के शिकार के रूप में उसकी स्थिति पर अंतर्दृष्टि मिलती है|

- व्यक्ति के यात्रा अथवा पहचान संबंधी दस्तावेज तीसरे पक्ष द्वारा लाये / प्रस्तुत किया जाते हैं|
- भर्ती तथा / अथवा यात्रा एजेंसी पंजीकृत तथा / या विनियमित नहीं है, तथा / या कर्मचारी से अत्यधिक फीस लेती है |
- प्रवेश वीसा लागू नहीं होता तथा / या यात्रा का उद्देश्य अन्य जानकारियों से मेल नहीं खाता (जैसे निवास की अवधि के लिए अपार्याप्त धन, यात्री की शारीरिक दशा या घोषित पेशा)
- व्यक्ति का माल-सामान यात्रियों के विवारण से नहीं मिलता (जैसे,माल-सामान की गुणवत्ता एवं स्वरुप, प्रस्तावित लम्बे समय तक प्रवास के लिए छोटा-सा बैग, या कम समय के लिए प्रस्तावित प्रवास के लिए बहुत बड़ा बैग)
- व्यक्ति को यह मालूम प्रतीत नहीं होता कि वह दूसरों के साथ एक समूह में यात्रा क्रर रहा है |
- व्यक्ति की पहचान, काम तथा / अथवा यात्रा दस्तावेज झूठे होते हैं तथा / अथवा यात्रियों द्वारा दी गयी सूचना विश्वसनीय नहीं है|
- व्यक्ति अपने यात्रा-मार्ग, गंतव्य और उद्देश्य के बारे में दुविधाग्रस्त है |
- व्यक्ति अनियमित आव्रजन / आवासीय स्तर की परिस्थिति में है (इसमें पहचान पत्रों का जब्त किया जाना / नौकरी से बर्खास्तगी भी शामिल है)

अवैध कारोबार के माने गए शिकार की शारीरिक दशा

अवैध कारोबार के कई शिकार अपने आवागमन के दौरान कई शारीरिक व मानसिक आघात सहते हैं | किसी व्यक्ति से पहली मुलाक़ात होने पर ही उसकी शारीरिक दुर्दशा का आभास होने लगता है कि वह अवैध कारोबार का शिकार हुआ है या नहीं| फिर भी, महत्वपूर्ण बात यह है कि अवैध कारोबार के शिकार कई लोग अपनी पहचान पीड़ित के रूप में कराना नहीं चाहते और अपनी स्थिति से संतुष्ट दिखते हैं |(38) किसी व्यक्ति का इस बात पर अड़े रहना कि वह अपनी स्थिति से संतुष्ट है, यही इस बात का स्वत: प्रमाण है कि अवैध कारोबारी ने उसके साथ कितनी हद तक छलावा किया है |

मानसिक अवस्था और व्यवहारिक लक्षण :

- व्यक्ति व्यग्र, अवसादग्रस्त, अति विनम्र, भयभीत, तनावग्रस्त व भ्रमित लगता है
- व्यक्ति आँख से आँख मिलाना नहीं चाहता
- व्यक्ति अपने घावों के बारे में कोई भी बात या चर्चा करना नहीं चाहता

दुर्व्यवहार तथा / या उपेक्षा के भौतिक चिन्ह :

- व्यक्ति शारीरिक हिंसा के दाग दर्शाता है
- व्यक्ति नशीली दवा या शराब की लत लगने / उन पर आधारित रहने / उपयोग के चिन्ह दिखाता है
- व्यक्ति भोजन, पानी, नींद, डाक्टरी देखभाल एवं जीवन की अन्य आवश्यकताओं से वंचित रहने के कारण कुपोषण एवं शारीरिक दुर्दशाओं के लक्षण दर्शाता है
- नहाने-धोने तथा / या शौचादि सुविधाएँ ने मिलने के कारण व्यक्ति अस्वस्थता के लक्षण दर्शाता है |

[38] See section 2.2.

अवैध कारोबार के शिकार के आवासीय / कार्य स्थल की दुर्दाशाएं

अवैध कारोबार के शिकार व्यक्तियों के शोषण के संकेतक उनके आवासीय एवं कार्य स्थल की दुर्दाशाएं हैं | आशंकित शिकार विभिन्न प्रकार के उद्योगों एवं सन्दर्भों में पाए जा सकते हैं, जिनमें यौन उद्योग के साथ-साथ घरेलू कार्य, बच्चों की देख-भाल, स्वास्थय सेवाएँ, बुजुर्गों की देखभाल, खेल, मनोरंजन, आतिथ्य ,निर्माण, वन्य, मत्स्य,खान, कृषि और कपड़ा उद्योग शामिल हैं| निम्नलिखित संकेतक सभी सन्दर्भों में लागू होते हैं, जिनमें अवैध कारोबार का आशंकित शिकार रहते या काम करते हुए पाए जाते हैं |

वेतन एवं संविदा :

- व्यक्ति को अपनी कमाई एवं बचत को अपने पास रखने तथा / या अंतरित करने से मना किया गया है
- व्यक्ति को बहुत ही कम वेतन दिया जाता है या वेतन देर से दिया जाता है या दिया ही नहीं जाता|
- व्यक्ति को दिये गए वचन से/ राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन से कम वेतन दिया जाता है |
- व्यक्ति के वेतन में से अत्यधिक कटौतियां की जातीं हैं, जिनमें नियोक्ता और नियोजक एजेंट को ऋण की चुकौती भी शामिल हैं |
- व्यक्ति को लाभ एवं सामाजिक सुरक्षा से वंचित रखा जाता है |जिसके वे वैध रूप से पात्र हैं |
- व्यक्ति ने संविदा पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं या संविदा की शर्तों का सम्मान नहीं किया जाता|
- राज्य में आने पर /नौकरी के प्रारम्भ में व्यक्ति से नये संविदा पर हस्ताक्षर करवाए गए|
- नियोक्ता अपने कर्मचारियों को दिए गए वेतन के साक्ष्य नहीं दे सकता |
- व्यक्ति को कोई कारण बताये बगैर ,/ पूर्व सूचना दिए बिना और / या लाभ दिए बिना नौकरी से निकला गया |

कार्य स्थल पर स्वास्थय एवं सुरक्षा :

- व्यक्ति को समुचित सुरक्षा तथा अन्य सुरक्षात्मक साधन व उपकरण प्रदान नहीं किये गए है या इन्हें काम में लाने का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है |
- व्यक्ति को चिकित्सकीय देख-भाल से वंचित रखा गया है |
- व्यक्ति बहुत अधिक लम्बी अवधि तक / असामान्य घंटों में काम करता है |
- व्यक्ति के पास आराम के क्षण या तो बहुत ही कम हैं या हैं ही नहीं |
- काम के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न करने पर व्यक्ति को दंड / जुर्माना भरना होता है |

जाने-आने पर रोक तथा निम्न स्तरीय सुविधाएं :

- व्यक्ति शारीरिक थकावट या कार्य-स्थल पर या अन्यत्र कैद के होने के संकेत दर्शाता है |(जैसे बंद / सलाखों वाली खिड़कियाँ, बाहर से बंद दरवाज़े, कँटीले तार, सुरक्षा कैमरा)
- व्यक्ति वहीं सोता है जहाँ काम करता है |
- व्यक्ति को संचार के संसाधनों तक पहुँचने नहीं दिया जाता |
- व्यक्ति के पास अपनी यात्रा / पहचान के दस्तावेज़ नहीं हैं / या ये दस्तावेज़ नियोक्ता या अन्य व्यक्ति ने जब्त कर लिए हैं | [39]

---

39 और अधिक जानकारी के लिए और संकेतक-स्रोत के लिए देखें Matrix of Resources

अनुभाग 4:

अवैध कारोबार के पीड़ितों की पहचान के लिए संकेतकों का सारांश

- ✓ **अवैध कारोबार के अनुमानित शिकार लोगों की 'शिकार" के रूप में निर्धारित कर लें:** शिकार की पहचान हेतु अपनायी गई नीति में प्राधिकारियों को यह अनुमति होनी चाहिए कि वे अनुमानित व्यक्ति को शिकार मानकर उसे प्रारम्भिक सहायता एवं संरक्षण प्रदान करने की कारवाई करें |

- ✓ **मनुष्यों के अवैध कारोबार से संबंधित अपराधों के प्रति आम जागृति पैदा करें:** जिन व्यक्तियों को अवैध कारोबार का शिकार न माना गया हों वे अन्य अपराधों के शिकार भी हो सकते हैं और उन्हें सहायता एवं संरक्षण उपायों की जरूरत हो सकती है | अवैध कारोबार के शिकार लोगों की पहचान के लिए ज़िम्मेदार व्यवसायियों को तत्संबंधित अपराधों के अन्य प्रकारों की जानकारी होनी चाहिए, ताकि वे तदनुसार कर्रवाई कर सकें |

- ✓ **संवेदनशील समूहों में से अवैध कारोबार के निर्धारित पीड़ित की पहचान करे:** शोषण के चरण से पूर्व अवैध कारोबार के शिकार लोगों की पहचान बड़ी मुश्किल से हो पाती है | राज्यों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनकी नीतियों में निवारण के वे सभी उपाय किये गए हैं जो तस्करी से लाये गए आप्रवासियों सहित संवेदनशील व्यक्ति-समूहों में से अवैध कारोबार के निर्धारित पीड़ितों की पहचान में प्राधिकारियों को मदद कर सकें |

- ✓ **गुलामी की पहचान:** गुलामी किन्हीं परिस्थितियों का कारण न होकर अपराधी और उसके शिकार की मौजूदा रिश्तेदारी की उपज होती है| प्राधिकारियों को यह समझना चाहिए कि गुलामी की हालत में जीने वाला व्यक्ति दिखने में तो आराम से जीता है लेकिन उसे व्यक्तिगत निर्णय लेने का बुनियादी अधिकार नहीं होता है |

- ✓ **ऋण बंधक की पहचान :** अवैध कारोबार के शिकार लोगों में अक्सर ऋण बंधक पाए जाते हैं | ऋण बंधन की पहचान किसी ऐसे ऋण से होती है, जिसका निर्धारण नहीं हो सकता और बंधक चाहे जितना काम कर ले या अपनी सेवाएँ देता रहे, वह उस ऋण को चुका नहीं सकता| कई न्याय-क्षेत्रों में ऋण-बंधन को और अधिक व्यापक रूप से एक ऐसी स्थिति की रूप में समझा गया है, जहां शोषणात्मक शर्तों पर श्रम व सेवाएं दे-देकर ऋण चुकाया जाता है |

- ✓ **जबरन विवाह की पहचान:** जब से गुलामी पर पूरक समझौता प्रभावी हुआ है, जो केवल महिलाओं के जबरन विवाह की पहचान करता है; यह व्यापक रूप से स्वीकारा गया है कि व्यवहार में लड़कों और पुरुषों को भी विवाह के लिए बाध्य किया जा सकता है| सभी प्रकार के जबरन विवाहों से निपटने के लिए राज्यों की इस प्रथा को दोहराना उपयोगी होगा कि संबंधित पक्षों के लिंग पर ध्यान दिए बिना जबरन विवाह निवारण कानून को सामान रूप से लागू करना सुनिश्चित किया जाय |

- ✓ **शोषण के लिए बच्चों के विक्रय की पहचान:** चूंकि बच्चों एवं शिशुओं के विक्रय के बाद किसी प्रकार का शोषण अपेक्षित नहीं होता, अत: राज्यों को इस अवधारणा में गोद लेने एवं व्यावसायिक सर्जरी व्यवस्था जैसी प्रथाओं को भी शामिल करने पर विचार करना चाहिए |

✓ **विभिन्न प्रकार के शोषण के लिए विशेष संकेतक निर्धारित करें:** राज्यों को चाहिए कि वे अगली पंक्ति के उत्तरदायी लोगों को अवैध कारोबार से संबंधित संकेतकों का विस्तृत एवं विशेष प्रशिक्षण देने पर विचार करें ताकि वे विभिन्न प्रकार के शोषण को समझ सकें | सहायता एवं संरक्षण दिए जाने के दौरान अन्य तत्वों के और भी साक्ष्य मिल सकते हैं | अनुच्छेद 3.3 विशिष्ट एवं विस्तृत संकेतक निर्धारित करने का आधार प्रदान करता है |

✓ **शिकार व्यक्तियों को प्रोत्साहित करें कि वे अपनी गिरफ्तारी और स्वदेश वापसी के डर को दूर करते हुए खुलकर अपनी बात कहें:** गिरफ्तारी के डर से अवैध कारोबार के आशंकित शिकार के भय को दूर करने के लिए यह सुनिश्चित करने के उपाय किये जाने चाहिए कि अवैध कारोबारियों के चंगुल में आकर उनसे आव्रजन अपराध सहित जो गलती हुई है, उसे अपराध नहीं माना जाएगा | पीड़ितों के इस भय को दूर करने के लिए ऐसे वीसा मार्ग प्रशस्त किये जाने चाहिए कि अवैध कारोबार से पीड़ित व्यक्ति गंतव्य देश में रहते हुए सहायता एवं समर्थन पाते रहें |

✓ **अवैध कारोबार के शिकार व्यक्तियों को प्रोत्साहित करें कि वे खुद को एवं अपने परिवार को संरक्षण देते हुए सामने आएं:** राज्यों को ऐसे उपाय करने पर विचार करना चाहिए जो शिकार हुए व्यक्तियों , उनके साक्षियों एवं परिवारों के प्रभावकारी संरक्षण को सुनिश्चित करे| जहां संरक्षण माँगनेवाले व्यक्ति अन्य राज्यों में हों, वहां उस राज्य के आपराधिक न्याय के व्यवसायियों से सहयोग माँगा जाना चाहिए और यदि उपयुक्त हो तो क्षति का जोखिम उठानेवालों को संरक्षण देने के लिए वीसा -आव्रजन का पथ प्रशस्त किया जाना चाहिए |

✓ **अवैध कारोबार के शिकार व्यक्तियों को प्रोत्साहित करें कि वे सदमे से बचने के लिए सामने आएं:** राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सहायता एवम संरक्षण कार्यक्रम, उक्त शिकार व्यक्तियों से संबंधित जानकारी की गोपनीयता का ध्यान रखते हुए, उनके शर्म और सदमें के एहसास को दूर करते हैं तथा उनकी चिंताओं को समझते हुए उन्हें दूर करने की संरक्षण नीति को विकसित करने हेतु गैर सरकारी संगठनों, समुदायों तथा स्वयं शिकार हुए व्यक्तियों के साथ काम करते हैं |

✓ **अवैध कारोबार के शिकार व्यक्तियों की पहचान को बेहतर बनाने के लिए अवैध कारोबार के प्रति आम जागरूकता फैलाएँ:** राज्यों को चाहिए कि वे व्यक्तियों के अवैध कारोबार के विरुद्ध जन-जागरण अभियान चलाएँ व उन्हें अपना समर्थन दें| लक्ष्य-समूह को यह समझाना अत्युत्तम होगा कि ए) मनुष्यों का अवैध कारोबार क्या होता है और कैसा दिखता है और बी) एक व्यक्ति क्या विशिष्ट कार्रवाई कर सकता है | साथ ही, उपयुक्त प्राधिकारी को 'हॉट-लाइन' पर सूचना देने सहित 'रेफरल' का व्यौरा भी दिया जाना चाहिए |

✓ **पहचान से जुड़े विभिन्न पण-धारकों की क्षमता को सुदृढ़ करें:** राज्य के प्राधिकारियों के व्यापक समूह एवं प्रभावपूर्ण पहचान प्रक्रिया से जुड़े अन्य संबंधित कार्मिकों को उनकी भूमिका एवं जिम्मेदारियों के बारे में सुस्पष्ट दिशा-निदेश व परिचालन प्रक्रिया जारी करें |

✓ **अवैध कारोबार से पीड़ितों के संपर्क में आने की आशंका वाले व्यक्तियों को पहचान-प्रशिक्षण दिया जाय:** अवैध कारोबार के शिकार व्यक्तियों की पहचान के लिए अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों को प्रशिक्षण में प्राथमिकता दिया जाना महत्वपूर्ण होगा | शिक्षकों, पत्रकारों, चिकित्सा से जुड़े व्यवसायियों, निजी क्षेत्र के कार्मियों तथा समाज के उन अन्य व्यक्तियों को भी प्रशिक्षण देने एवं पहचान के संकेतकों के बारे में पर्याप्त जानकारी दिए जाने पर विचार किया जाना चाहिए, जो अवैध कारोबार के श्सिकर लोगों से संपर्क में आने पर उनकी पहचान कर सकते हैं |

- ✓ **अवैध कारोबार के शिकार बालकों की पहचान को सुदृढ़ करें:** पहचान के दृष्टिकोण से अवैध कारोबार के शिकार बालकों की सतत रूप से पहचान तथा विशिष्ट बाल-सेवा प्रदायकों को तदनुसार सूचित करते रहने की ऐसी प्रक्रिया को कार्यान्वित करें, जो निम्नलिखित दोनों के लिए उपयुक्त हों
  - अल्प-संख्यकों की धारणा
  - पीड़ित -स्तर की धारणा

- ✓ **अवैध कारोबार के शिकार व्यक्ति के प्रति संवेदनशील साक्षात्कार तकनीक का समर्थन करें:** यह सुनिश्चित करें कि साक्षात्कार लेनेवाले व्यक्ति भाषा, लिंग, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति समुचित दक्षता प्राप्त है | जहां तक संभव हो, प्रत्येक साक्षात्कार देनेवाले से उसकी पसंदगी पूछी जाय और उसकी पसंद को समुचित महत्व दिया जाय|

- ✓ **यह सुनिश्चित करें कि पहचान प्रक्रिया शरण मांगनेवालों को समुचित 'रेफरल' की अनुमति देती है:** जहां किसी व्यक्ति ने शरण माँगी हो उस राज्य को शरण माँगनेवालों के मूल-देश के राजनायिक प्रतिनिधियों से तब संपर्क नहीं करना चाहिए जब यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि वह शरणार्थी है |

- ✓ **संकेतकों की समीक्षा करने पर विचार करें:** कुछ ख़ास तरह की जानकारी को प्राथमिकता देने के लिए जो लोग अवैध कारोबार के शिकार व्यक्तियों की पहचान के लिए ज़िम्मेदार हैं उनकी सहायतार्थ राज्य को संकेतकों की समीक्षा करने पर विचार करना चाहिए | ILO तथा यूरोपियन कमीशन द्वारा अपनाये गए रुख के अनुसार प्रत्येक संकेतक मज़बूत, माध्यम और कमज़ोर होता है किन्तु कोई संकेतक बच्चों के लिए मज़बूत और वयस्कों के लिए माध्यम अथवा यौन उत्पीडन के लिए मज़बूत और श्रमिकों के शोषण की दृष्टि से कमजोर हो सकता है|

- ✓ **सन्दर्भ का विनिर्दिष्ट संकेतक:** संकेतकों की सूची तब बहुत प्रभावपूर्ण हो जाती है जब प्राधिकारियों को उनके काम के दौरान सामने आयी परिस्थिति विशेष के लिए उसे अंगीकार कर लिया जाता है | उक्त सूची को नियमित रूप से अद्यतन किया जाते रहना चाहिए ताकि अवैध कारोबार के निरंतर बदलते हुए रुख के परिप्रेक्ष्य में इसकी सुसंगति बनी रह सके

बाली प्रक्रिया

Regional Support Office
The Bali Process

संपर्क
क्षेत्रीय सहायक कार्यालय- बाली प्रक्रिया
27प्रक्रिं मंज़िल, राजनकर्ण बिल्डिंग
3,साउथ सथोरन रोड, सथोर्न बेंकाक 10120, थाईलैंड
Contact
Tel. +66 2 343 9477 Fax. +66 2 676 7337
info@rso.baliprocess.net

बाली प्रक्रिया

लोगों की तस्करी, व्यक्तियों का अवैध
कारोबार एवं तत्संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अपराध

http://www.baliprocess.net/